LATEST

NEWS

Election

Date : 17th Jan. 2026

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

दैनिक भास्कर
जयपुर 17-01-2026

एसआईआर की तारीख 19 तक बढ़ी, भाजपा ने नाम कटने पर 18 आपत्तियां दर्ज कराई

जयपुर | चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में नाम हटवाने और जोड़ने के लिए दावे और आपत्तियां लेने की तारीख को शुक्रवार को बढ़ा दिया है। आयोग ने एसआईआर वाले राज्यों में दावे आपत्तियां लेने की तारीख को 19 जनवरी तक बढ़ाया है। पहले 15 जनवरी आखिरी तारीख थी। वहीं, कांग्रेस ने एसआईआर में गड़बड़ियों के मामले में कोर्ट में याचिका दायर करने की घोषणा की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शनिवार को कोर्ट में याचिका दायर करने की घोषणा की है। इधर, एसआईआर में भाजपा ने 18 हजार आपत्तियां नाम हटवाने को लेकर दर्ज कराई हैं। इस मामले में चुनाव आयोग का कहना है कि इसके लिए बनी अथॉरिटी नाम हटाने को लेकर निर्णय करेगी। हालांकि इससे पहले नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा।

दैनिक नवज्योति Jaipur City - 17 Jan 2026 - Page 10

गुस्साए मतदाताओं का कैथून थाने पर प्रदर्शन

एसआईआर: पहले चरण में 3 हजार लोगों के मतदाता सूची से कटे नाम

न्यूज सर्विस/नवज्योति, खेड़ारामपुर/ कैथून। एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मतदाता सूची से सैकड़ों लोगों के नाम हटाए जाने के विरोध में कैथून कस्बे में आक्रोश फैल गया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आईना महक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने कैथून थाने पहुंच विरोध प्रदर्शन किया और नाम काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। महक ने बताया कि निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कस्बे के सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हो चुके थे। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ की ओर से मांगे गए सभी दस्तावेज लोगों ने उपलब्ध करा दिए थे। बावजूद कस्बे के कुछ असामाजिक तत्वों ने गलत तरीके से फार्म नंबर 7 भरकर संबंधित बीएलओ को देकर सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से कटवा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कैथून कस्बे में तीन हजार से अधिक लोगों के नाम हटाए गए हैं।

वर्षों से कैथून में कर रहे हैं निवास प्रदर्शन: कर रहे लोगों का कहना था कि वे कई वर्षों से कैथून में निवास कर रहे हैं और वर्ष 2002 की वॉटर लिस्ट में भी उनके नाम दर्ज हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज देने के बावजूद उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए, जो पूरी तरह अनुचित है। आईना महक ने कहा कि राजनीतिक द्वेषता के चलते एक विशेष समुदाय के लोगों को चिन्हित कर उनके नाम मतदाता सूची से हटवाए गए हैं, जो निंदनीय है।

SAT,17 JANUARY 2026
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 7

मतदाता पुनरीक्षण में 'बल्क फार्म' विवाद ने तूल पकड़ा

■ कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग

कोटपूतली-बहरोड़, 16 जनवरी (आनंद पंडित): जिला कांग्रेस कमेटी कोटपूतली-बहरोड़ के अध्यक्ष इंद्राजगुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधि मंडल मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में बिना ठोस कारणों के बड़ी संख्या में फार्म-7 जमा किए जाने के मामले को लेकर जिलाधीश प्रियंका गोस्वामी से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

फ्कोटपूतली: कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते कांग्रेस नेता।

जिलाध्यक्ष इंद्राज सिंह गुर्जर ने बताया कि 12 अगस्त 2025 को मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है तथा 12 से 15 दिसंबर 2025 तक दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित की गई थी। नियमानुसार इलेक्ट्रोल मैन्युअल 2023 के अनुसार किसी भी स्थिति में बल्क आवेदन स्वीकार नहीं किए जा सकते। व्यक्तिगत मतदाता केवल एक दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जबकि राष्ट्रीय दल का बीएलए-2 प्रतिदिन अधिकतम 10 फार्म ही जमा कर सकता है, जिनमें संपूर्ण जानकारी व मोबाइल नंबर सहित साक्ष्य अनिवार्य होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम कार्यालयों में नियमों के विपरीत एक राजनीतिक दल द्वारा एक ही दिन में सैकड़ों से लेकर हजारों तक फार्म-6 और फार्म-7 जमा कराए गए हैं, जो चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन है।

कांग्रेस ने मांग की कि ऐसे सभी नियम विरुद्ध फार्म-6, 7 और 8 की संकलन सूची पार्टी को उपलब्ध करवाई जाए और इन फर्जी आवेदनों पर कोई संज्ञान न लिया जाए। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों की कड़ी निंदा करती है और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करती है। इस दौरान पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाणा, बहरोड़ से पूर्व विधायक प्रत्याशी संजय यादव, डा.आरसी यादव, पीसीसी सचिव जगदीश मीणा, महासचिव चिकित्सा प्रकोष्ठ डा.अभिलाष मीणा, सेवा दल जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामनिवास यादव, कोटपूतली ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश चंद सैनी, नारेहडा ब्लॉक अध्यक्ष सतीश निमोरिया, संगठन महामंत्री वीके नवल पूर्व उपाध्यक्ष रमेश जिंदल, जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डा.मनमोहन राठौर, राजेन्द्र सिंह मीणा, कमलेश मीणा, मुकेश मुकड़ और सागर दहिया सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पंजाब केसरी
SAT,17 JANUARY 2026
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

SIR में 19 तक दावे-आपत्तियां होंगे दर्ज

चुनाव आयोग ने बढ़ाई अंतिम तिथि

जयपुर, 16 जनवरी (ब्यूरो): चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में नाम हटवाने और जोड़ने के लिए दावे और आपत्तियां लेने की तारीख को शुक्रवार को अचानक बढ़ा दिया। चुनाव आयोग ने राजस्थान सहित एसआईआर वाले राज्यों में दावे आपत्तियां लेने की तारीख को 19 जनवरी तक बढ़ा दिया है। पहले 15 जनवरी दावे आपत्तियां पेश करने की आखिरी तारीख थी, अब चार दिन अवधि बढ़ाई गई है।

कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने हटवाने के लिए आखिरी दिन हजारों आवेदन लेने पर आपत्ति जताते हुए धांधली का आरोप लगाया था। अब चुनाव आयोग ने दावे आपत्तियां लेने की तारीख बढ़ा दी है।

गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस कोर्ट में याचिका दायर करेगी

कांग्रेस ने एसआईआर में गड़बड़ियों के मामले में कोर्ट में याचिका दायर करने की घोषणा की है। वोटर लिस्ट से नाम हटवाने जुड़वाने के लिए एक साथ हजारों फॉर्म लेने के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट जाएगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कोर्ट में याचिका दायर करने की घोषणा की।

जिला स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम 25 को होगा

मतदाता जागरूकता संबंधी विविध कार्यक्रम होंगे

भास्कर न्यूज | बालोतरा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार 25 जनवरी 2026 को 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा।

इस अवसर पर बालोतरा जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदान केंद्रों पर मतदाता जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपखंड अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 25 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य आयोजन पंचायत समिति सभागार में किया जाएगा। वहीं सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए समस्त सुपरवाइजर एवं बूथ लेवल अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत 18-19 वर्ष आयु वर्ग के नव मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र वितरण, ईएलसी (इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब) गतिविधियां, ई-ईपिक, डाक मतपत्र, होम वोटिंग, सी-विजिल, वीएचएपी-1950 हेल्पलाइन, एनजीआरएस पोर्टल की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही मतदाता सूची का पठन, महिला मतदाता, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर एवं अन्य वंचित वर्ग के मतदाताओं के पंजीकरण तथा ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया से भी अवगत कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मतदाता जागरूकता को और प्रभावी बनाने के लिए वाद-विवाद, चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा उपस्थित मतदाताओं को मतदाता शपथ दिलाई जाएगी। कार्यक्रम से संबंधित फोटोग्राफ एवं वीडियो ईमेल अथवा व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की है।

जिला स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम 25 को

मतदाता जागरूकता संबंधी विविध कार्यक्रमों का होगा आयोजन

बालोतरा/नवज्योति, । मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार 25 जनवरी को 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर बालोतरा जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदाता जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उपखंड अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 25 जनवरी को प्रातः 11 बजे राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य आयोजन पंचायत समिति सभागार, बालोतरा में किया जाएगा। वहीं सभी मतदान केन्द्रों पर प्रातः 10 बजे कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए समस्त सुपरवाइजर एवं बूथ लेवल अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत 18-19 वर्ष आयु वर्ग के नव मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र वितरण, ईएलसी (इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब) गतिविधियां, ई-ईपिक, डाक मतपत्र, होम वोटिंग, सी-विजिल, वीएचएपी-1950 हेल्पलाइन, एनजीआरएस पोर्टल की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही मतदाता सूची का पठन, महिला मतदाता, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर एवं अन्य वंचित वर्ग के मतदाताओं के पंजीकरण तथा ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया से भी अवगत कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मतदाता जागरूकता को और प्रभावी बनाने के लिए वाद-विवाद, चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा उपस्थित मतदाताओं को मतदाता शपथ दिलाई जाएगी। कार्यक्रम से संबंधित फोटोग्राफ एवं वीडियो ईमेल अथवा व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर होंगे विविध कार्यक्रम

बालोतरा@ पत्रिका. जिलेभर में 25 जनवरी को 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपखंड अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिला स्तरीय मुख्य आयोजन प्रातः 11 बजे पंचायत समिति सभागार में होगा। वहीं सभी मतदान केंद्रों पर प्रातः 10 बजे कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के तहत 18-19 वर्ष आयु वर्ग के नव मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र वितरित किए जाएंगे। साथ ही ईएलसी (इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब) गतिविधियां, ई-ईपिक, डाक मतपत्र, होम वोटिंग, सी-विजिल, वीएचएपी-1950 हेल्पलाइन एवं एनजीआरएस पोर्टल की जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची का पठन, महिला मतदाता, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर एवं अन्य वंचित वर्ग के मतदाताओं के पंजीकरण तथा ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया से भी अवगत कराया जाएगा। मतदाता जागरूकता को प्रभावी बनाने के लिए वाद-विवाद, चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा मतदाता शपथ दिलाई जाएगी।

25 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस

नमस्कार नेशन

बालोतरा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार 25 जनवरी 2026 को 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर बालोतरा जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाता जागरूकता से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपखंड अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम 25 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे पंचायत समिति सभागार, बालोतरा में आयोजित किया जाएगा। वहीं सभी मतदान केन्द्रों पर प्रातः 10 बजे कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए समस्त सुपरवाइजर एवं बूथ लेवल अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के नव मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र वितरण किया जाएगा। साथ ही ईएलसी गतिविधियों, ई-ईपिक, डाक मतपत्र, होम वोटिंग, सी-विजिल, वीएचएपी-1950 हेल्पलाइन तथा एनजीआरएस पोर्टल की जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची पठन, महिला मतदाता, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर एवं अन्य वंचित वर्ग के मतदाताओं के पंजीकरण तथा ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया से भी अवगत कराया जाएगा। मतदाता जागरूकता को और प्रभावी बनाने के लिए वाद-विवाद, चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उपस्थित मतदाताओं को मतदाता शपथ दिलाई जाएगी। कार्यक्रम से संबंधित फोटोग्राफ एवं वीडियो ईमेल अथवा व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उपखंड अधिकारी ने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की है।

दैनिक भास्कर
सीकर भास्कर 17-01-2026

कांग्रेस का दावा- एक ही दिन में एक राजनीतिक दल ने नियम तोड़ सीमा से अधिक फॉर्म जमा करवाए

एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप, कांग्रेस का प्रदर्शन, जांच की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

भास्कर न्यूज | श्रीमाधोपुर

मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा होने पर विवाद उत्पन्न हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार दोपहर को एसडीएम कार्यालय में एसडीएम अनिल कुमार को जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा।

श्रीमाधोपुर. एसडीएम को ज्ञापन देते कांग्रेस कार्यकर्ता।

इसमें तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेस ने ज्ञापन में बताया कि मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 12 दिसंबर 2025 को किया गया था। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 12 दिसंबर 25 से 15 जनवरी 26 तक निर्धारित थी। पार्टी ने आरोप लगाया कि इलेक्टोरल मैनुअल 2023 के पैरा 11.3.2(2) के तहत थोक में आवेदन स्वीकार नहीं किए जा सकते। नियमानुसार एक व्यक्ति केवल एक फॉर्म प्रस्तुत कर सकता है, जबकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 भी प्रतिदिन अधिकतम 10 फॉर्म ही जमा कर सकते हैं। कांग्रेस का दावा है कि एसडीएम कार्यालय में एक ही दिन में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों से हजारों की संख्या में फॉर्म-7 (नाम हटाने के लिए) और फॉर्म-6 (नाम जोड़ने के लिए) जमा किए गए हैं।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसआईआर में नियम विरुद्ध लगे फार्मों की सूची मांगी

नीमकाथाना | एसआईआर में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने एसडीएम राजवीर यादव को ज्ञापन सौंपा। इसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बिना ठोस कारण व विवरण के बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए जाने पर तत्काल रोक की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि नियम विरुद्ध एक राजनीतिक दल की ओर से बड़ी संख्या में फार्म लगाए हैं। नियम विरुद्ध लगे फॉर्मों की सूची मांगते हुए कांग्रेस नेताओं ने संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई।

एसआईआर सैकंड फेज: 12203 अनमैप्ड वोटर्स में से मात्र 2264 वोटर ही पहुंचे जनसुनवाई में

अब तक केवल 17 फीसदी अनमैप्ड मतदाता पहुंचे दस्तावेज लेकर

बारां| जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण के में नो-मैपिंग श्रेणी (जिनका सत्यापन नहीं हुआ) में दर्ज 12 हजार 203 मतदाताओं को सुनवाई का मौका दिया गया। लेकिन अब तक केवल 2264 मतदाता ही दस्तावेज लेकर सुनवाई में पहुंचे है। यानी 83 प्रतिशत मतदाताओं ने निर्वाचन आयोग के सामने मौजूदगी दर्ज नहीं कराई है।

निर्वाचन विभाग के अनुसार यदि कोई मतदाता पहली सुनवाई में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसे जवाब प्रस्तुत करने के तीन अवसर दिए जाएंगे। इसके बाद भी दस्तावेज जमा नहीं कराने पर नाम काटने की कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण में अंता विधानसभा को छोड़कर जिले की तीन विधानसभाओं की सूची जारी की गई थी। जिसमें 54 हजार 808 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इनके बाद अनमैप्ड रहे मतदाताओं को सुनवाई का मौका दिया था। इनमें अंता विधानसभा में उपचुनाव के कारण एसआईआर की प्रक्रिया देरी से शुरू हुई।

किशनगंज में में सबसे अधिक नो-मैपिंग मतदाता

अब तक हुई सुनवाई के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक नो-मैपिंग मतदाता किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में चिह्नित किए गए हैं। यहां 6 हजार 70 मतदाता इस श्रेणी में दर्ज हैं। साथ ही बारां-अटरू में 4 हजार 171 व छबड़ा में 1919 मतदाता नो मैपिंग है।

निर्वाचन विभाग के अनुसार सुनवाई की प्रक्रिया एक माह तक चलेगी। कार्यालयों में भीड़ न हो, इसके लिए मतदाताओं को अलग-अलग तिथियों पर सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। प्रतिदिन औसतन 50 से 100 मतदाताओं की सुनवाई की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी कई मतदाता अब तक सुनवाई के लिए पहुंचे। इन्हें अब दुबारा नोटिस जारी किए जाएंगे। 30 जनवरी तक अधिकांश मतदाताओं की सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य है। इनमें गाडिया लुहार, कालबेलिया जैसे घुमंतु जनजाति के लिए नोटिस जारी करने के बाद भी बीएलओ के माध्यम से दुबारा मौका रिपोर्ट बनवाई जाएगी।

दैनिक भास्कर
दौसा भास्कर 17-01-2026

एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप

सिकराय| विधानसभा क्षेत्र में संचालित एसआईआर कार्यक्रम में गड़बड़यों को लेकर शुक्रवार को कांग्रेसियों ने रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया।

उन्होंने ज्ञापन देकर एक राजनीतिक दल पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फर्जी आवेदन करने के आरोप लगाए। दोपहर एसडीएम व रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का कहना था कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में संचालित मतदाता पुनरीक्षण विशेष अभियान के अंतर्गत 12 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। 15 जनवरी तक दावे व आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए समय निर्धारित किया गया था। आयोग के निर्देशानुसार केवल एक व्यक्ति एक ही दावा व आपत्ति का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा राजनीतिक दलों के बीएलए टू अधिकतम 10 आवेदन जमा करा सकते हैं। लेकिन रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नियम विरुद्ध तरीके से एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ही दिन में काफी संख्या में आवेदन जमा कराए गए हैं। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी को ज्ञापन देकर बल्क में जमा हुए आवेदनों पर संज्ञान नहीं लेने तथा नियम विरुद्ध तरीके से जमा हुए प्रपत्र संख्या 6, 7 व 8 की सूची कांग्रेस कमेटी को उपलब्ध कराए जाने की मांग की। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष शिवराम मीना, ब्लॉक अध्यक्ष खेमराज मीना, नगर अध्यक्ष रामावतार अग्रवाल, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव प्रकाश मुंडियाखेडा, पूर्व जीएसएस अध्यक्ष प्रहलाद मीना, गुलशन मीना, घनश्याम मीना, रामावतार सोनी, भींमसिंह मीना, ओमप्रकाश गुप्ता आदि मौजूद रहे।

टोंक में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस ने मतदाता फार्म के बल्क में जमा होने पर जताई आपत्ति

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

टोंक. शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) मे बिना किसी ठोस कारण और विवरण के बड़ी संख्या में फार्म 6ए, 7 और 8 जमा किए गए हैं। इस पर त्वरित हस्तक्षेप की मांग की गई। साथ ही कांग्रेस ने इन फार्मों की संकलित सूची उपलब्ध कराने की भी मांग रखी।

टोंक. जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपते कांग्रेस के लोग।

ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान प्रदेश मे मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था। दावे एवं आपत्तियाँ दर्ज कराने की अवधि 12 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई थी।

निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, व्यक्तिगत मतदाता केवल एक ही फार्म प्रस्तुत कर सकता है, जबकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के ब्लॉक लेवल एजेंट (बीएलए) को प्रतिदिन अधिकतम 10 फार्म जमा करने की अनुमति है। फार्म में मतदाता की सम्पूर्ण जानकारी, मोबाइल नंबर, साक्ष्य और अंडरटेकिंग संलग्न होना आवश्यक है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एसडीएम कार्यालय मे एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने बल्क में सैकड़ों से हजारों की संख्या में फार्म 6 और 7 प्रस्तुत किए गए है, जो निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है। कांग्रेस ने मांग की कि इन आवेदनों पर संज्ञान न लिया जाए।साथ ही कांग्रेस ने नियमों के विरुद्ध जमा किए गए सभी फार्मों की संकलित सूची उपलब्ध कराने और बल्क में आवेदन जमा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हरी प्रसाद बैरवा, देहात ब्लॉक अध्यक्ष कैलाशी देवी मीणा, इरशाद बेग, जर्रार खान, नवीन कुमार, बरकात हसीन, माकूल नदीम, मूलचन्द बैरवा, देवकरण गुर्जर, मनीष कुमार, कैलाश सहित अन्य नेता मौजूद रहे।

स्थायी निवासियों के नाम काटे जाने पर लोगों में रोष, संशोधन की मांग

उनियारा. निर्वाचन विभाग द्वारा तैयार की जा रही मतदाता सूची के प्रारूप में गड़बड़ी और मनमानी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने शुक्रवार दोपहर उपखंड अधिकारी पूजा मीणा को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश धाकड़ के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मांग की कि मतदाता सूची में हो रही त्रुटियों को तुरंत सही किया जाए और स्थायी निवासियों के नाम सूची से न काटे जाएं। साथ ही उन्होंने मतदाता सूची की प्रति उपलब्ध कराने की भी मांग की।ज्ञापन सौंपने वालों में कांग्रेस के चेतन पटवा, धर्म प्रकाश शर्मा, सत्यनारायण भडाना, कमरुद्दीन, राधेश्याम मेरोठा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कांग्रेस ने फॉर्म-6, 7 जमा करने में अनियमितता का आरोप लगाया

उनियारा| ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में शुक्रवार को पदाधिकारियों ने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी व एसडीएम पूजा मीणा को मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में अनियमितताओं के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। बिना कारण बताए फॉर्म-7 की बड़ी संख्या जमा करने व फॉर्म 6,7,8 की संकलित सूची उपलब्ध कराने की मांग की। प्रकाश धाकड़, पंचायत उपप्रधान जगदीश बैरवा, गुलाब मीणा, राजू चौधरी सहित नेताओं ने बताया कि 12 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित हुई। दावे-आपत्ति की समय सीमा 15 जनवरी तक थी। इलेक्टोरल मैनुअल 2023 के अनुसार ब्लॉक आवेदन स्वीकार्य नहीं।

उनियारा। एसडीएम को ज्ञापन देते हुए

एक व्यक्ति केवल एक फॉर्म जमा कर सकता है, जबकि मान्यता प्राप्त दलों के बीएलए-2 अधिकतम 10 फॉर्म प्रतिदिन। ज्ञापन में कहा कि एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों-हजारों फॉर्म बिना मोबाइल नंबर व अंडरटेकिंग के जमा किए, जो निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन है। मांग की कि ऐसी अनियमित फॉर्मों पर संज्ञान न लें, संकलित सूची उपलब्ध कराएं व दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करें।

ग्रामीणों ने फर्जी फॉर्म-7 से नाम काटने का लगाया आरोप

भास्कर न्यूज़ | पीपलू

उपखंड क्षेत्र के ग्राम डारडातुर्की व जवाली के ग्रामीणों ने विशेष ग्रहण पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि एक समुदाय विशेष के नाम फर्जी फॉर्म-7 भरकर गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। इसके चलते लोगों में आक्रोश है। डारडातुर्की में ग् कमरुद्दीन, शहाबुद्दीन, रसीद, मजीद (65), इकराम (50) सहित कुल 52 मतदाताओं के फार्म-7 भरकर नाम कटवाने की प्रक्रिया जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि वह जन्म से ही ग्राम डारडातुर्की के स्थायी निवासी हैं। उनके पूर्वज भी यहीं के निवासी हैं। उन्होंने कई बार लोकसभा, विधानसभा, पंचायत राज के चुनाव में मताधिकार का प्रयोग किया था। इसके बावजूद भी उनके नाम मतदाता सूची से कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। डारडातुर्की प्रशासक अब्दुल करीम, यूथ कांग्रेस प्रदेश संयोजक तैय्यब देशवाली व पूर्व सरपंच सुरेश यादव, महबूब जवाली ने आरोप लगाया कि बीएलए द्वारा नियमों के विपरीत फॉर्म-7 भरकर नाम हटाए जा रहे हैं जबकि एसआईआर प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेज बीएलओ को पहले ही जमा कराए जा चुके हैं।

डूंगरपुर में एसडीएम कार्यालय का किया घेराव

कांग्रेस ने किया प्रदर्शन एसआईआर मे बीएलओं पर सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप

आत्मा की ज्वाला डूंगरपुर।

डूंगरपुर में कांग्रेस ने एसआईआर कार्यक्रम के तहत बीएलओं पर सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में डूंगरपुर विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। विधायक गणेश घोघरा ने बताया कि वर्तमान में चल रही एसआईआर स्पेशल समरी रिवीजन प्रक्रिया में डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ सत्ता पक्ष के नेताओं के प्रभाव में काम कर रहे हैं। आरोप है कि सत्ता पक्ष के नेता बीएलओ के माध्यम से अपने समर्थकों के नाम गलत दस्तावेजों के आधार पर जुड़वा रहे हैं। वहीं, कांग्रेस समर्थकों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उनके समर्थक नाम जुड़वाने के लिए परेशान हो रहे हैं। विधायक घोगरा ने एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में एसआईआर प्रक्रिया की निष्पक्ष और गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देते कांग्रेस के वरिष्ठजन

आत्मा की ज्वाला सीमलवाड़ा।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन अनुसार शुक्रवार को चौरासीविधानसभा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीमलवाड़ा,व चिखली के तत्वाधान में उपखंड कार्यालय सीमलवाड़ा पर पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के नेतृत्व में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया ज्ञापन में ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कटारा ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा एस आई आर की प्रक्रिया चलाई जा रही है जिसके तहत 15 जनवरी तक वोटर लिस्ट ड्रॉप तैयार किए जाने हैं जिसे लेकर भाजपा के नेताओं द्वारा निर्वाचन अधिकारी को दबाव बनाकर नियम विरुद्ध कांग्रेस मतदाताओं के नाम को हटाकर बल्क आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की नियमावली इलेक्टरल मैनुअल 2023 तेरा संख्या 11.3. 2.(2,) की प्रदत्त धाराओं के अनुसार बल्क आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा द्वारा चुनाव आयोग पर दबाव बनाते हुए यह घिनौनी हरकत की जा रही है इस भारी फर्जीवाडे कों रोकने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार लोकतंत्र की रक्षा एवं मतदाता के हितों की रक्षा के लिए आज उपखंड कार्यालय सीमलवाड़ा पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कटारा, ब्लॉक अध्यक्ष डुले सिंह चौहान जिला उपाध्यक्ष महेंद्र भगोरा पूर्व प्रधान निमिषा भगोरा ओबीसी प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव सुरेश भोई राजीव गांधी पंचायती राज जिला अध्यक्ष रूपचंद भगोरा विधि प्रकोष्ठ बाल गोविंद पाटीदार महामंत्री रूप शंकर पाटीदार, उपाध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र जैन, मंडल अध्यक्ष गजराज सिंह चौहान धर्मेंद्र भगोरा धूलेश्वर पाटीदार ,शंकर लाल यादव ,महेश कुमार रोत, धवल पटेल ,पीयूष कलाल ,महेंद्र कुमार भगोरा, लाल शंकर बुझ, एडवोकेट गिरधर रोत, सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

दैनिक भास्कर
डूंगरपुर भास्कर 17-01-2026

शिकायत • मतदाता पुनरीक्षण में अनियमितताओं का आरोप, विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन

बीएलओ सत्ता पक्ष के दबाव में गलत दस्तावेजों के आधार पर नाम जोड़ रहे और कांग्रेस समर्थकों के नाम काटे जा रहे

भास्कर न्यूज | सागवाड़ा

कांग्रेस पदाधिकारियों ने मंगलवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया। ज्ञापन में बिना किसी ठोस कारण व विवरण के बड़ी संख्या में फ़ॉर्म-7 जमा किए जाने के मामले में त्वरित हस्तक्षेप की मांग की गई। साथ ही जमा किए गए फ़ॉर्म-6, 7 एवं 8 की संकलित सूची उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई।

ज्ञापन में बताया कि राजस्थान प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण (एसएआर) की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित की जा रही है। इसके तहत 12 दिसम्बर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था तथा दावे व आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि

सागवाड़ा. एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपते कांग्रेस कार्यकर्ता।

12 दिसम्बर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई थी। कांग्रेस ने इलेक्ट्रोल मैन्युअल 2023 के पैरा संख्या 11.3.2 (2) का हवाला देते हुए बताया कि नियमानुसार बल्क में आवेदन स्वीकार नहीं किए जा सकते। व्यक्तिगत मतदाता केवल एक ही फॉर्म प्रस्तुत कर सकता है, जबकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 प्रतिदिन अधिकतम 10 फॉर्म ही जमा करा सकते हैं। साथ ही फॉर्म में मतदाता की पूर्ण जानकारी, मोबाइल नंबर, साक्ष्य एवं अंडरटेकिंग संलग्न होना अनिवार्य है।

कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि नियमों के विरुद्ध एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता एक ही दिन में एसडीएम कार्यालय में सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में फ़ॉर्म-6 व फ़ॉर्म-7 बल्क में जमा किए है। यह निर्वाचन आयोग के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने मांग की कि ऐसे नियम विरुद्ध जमा सभी फ़ॉर्म-6, 7 एवं 8 पर किसी भी प्रकार का संज्ञान न लिया जाए तथा उनकी संकलित सूची नियमानुसार कांग्रेस पार्टी को उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की गई।

इस अवसर पर कैलाश रोत, ब्लॉक अध्यक्ष धीरज मेहता, नगर पालिका अध्यक्ष नरेन्द्र खोड़निया, नगर अध्यक्ष ललित पंचाल, नानूलाल मकवाना, टामटिया मंडल अध्यक्ष सुरेश जोशी, ब्लॉक महामंत्री प्रवीण पंड्या, दिनेश गुप्ता, जतिन, गटा भाई, डायालाल पाटीदार, इस्माइल बिल्ला, पवन सरपोटा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

डूंगरपुर. एसआईआर को लेकर ज्ञापन सौंपते कांग्रेस कार्यकर्ता।

डूंगरपुर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डूंगरपुर उपखंड अधिकारी को एसआईआर को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जिले में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ सत्ता पक्ष से दबाव में आकर गलत दस्तावेजों के आधार पर नाम जोड़ रहे हैं। और कांग्रेस समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं। कांग्रेस समर्थक अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। इस संबंध में निष्पक्ष जांच कराने एसआईआर के लिए प्राप्त फॉर्म नंबर 6, 7 व 8 की संकलित सूची प्राप्त करने के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष व विधायक गणेश घोघरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रधान कांता कोटेड, सीमलवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कटारा, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण साद, उपजिला प्रमुख सुरता परमार, जिला उपाध्यक्ष बंशीलाल साद, प्रदेश सचिव अरविंद यादव, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय परमार, जिला परिषद सदस्य गुलशन मनात मौजूद थे।

दैनिक नवज्योति Banswara Dungarpur - 17 Jan 2026 - Page 7

एसआईआर कार्यक्रम में अनियमितताओं के आरोप

कांग्रेस ने विरोध-प्रदर्शन कर जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन

सीमलवाड़ा। डूंगरपुर जिले के चौरासी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के सीमलवाड़ा व चिखली ब्लॉक के संयुक्त तत्वावधान में कार्यकर्ताओं ने बीएलओ पर सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में कार्य करने का आरोप लगाते हुए सीमलवाड़ा उपखंड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी विवेक गुर्जर को जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान में चल रही एसआईआर प्रक्रिया न केवल डूंगरपुर जिले में बल्कि पूरे राजस्थान में पक्षपातपूर्ण तरीके से संचालित की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि

सीमलवाड़ा। उपखंड अधिकारी गुर्जर को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेसी। गुणवंत कलाल

सीमलवाड़ा। विरोध-प्रदर्शन करते हुए पूर्व सांसद,ब्लॉक अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता।

सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में बीएलओ भाजपा समर्थकों के नाम गलत दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में जोड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस समर्थकों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। पूर्व सांसद भगोरा ने कहा कि कांग्रेस समर्थक मतदाता अपने नाम जुड़वाने के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। यह लोकतंत्र के मूल अधिकारों पर सीधा हमला है और भाजपा सरकार चुनावी लाभ के लिए प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। सीमलवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कटारा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया की आड़ में मतदाता सूची से छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने एसडीएम विवेक गुर्जर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि एसआईआर प्रक्रिया की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गहन जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

कटारा ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत समिति क्षेत्र में वार्ड गठन के दौरान भी भारी अनियमितताएं की गई हैं। कहीं अत्यधिक मतदाताओं को एक वार्ड में शामिल किया गया है तो कहीं बहुत कम मतदाताओं पर वार्ड बना दिए गए हैं, जिससे स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार की मनमान और राजनीतिक लाभ की मंश दिखाई देती है। इस दौरान चिखल ब्लॉक अध्यक्ष डूलेसिंह चौहान जिला उपाध्यक्ष महेंद्र भगोरा, पू प्रधान निमिषा भगोरा, ओबीसी प्रदे सचिव सुरेश भोई, राजीव गांध पंचायती राज जिला अध्यक्ष रूपचं भगोरा, विधि प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बाल गोविंद पाटीदार, धावल पटेल रूपशंकर पाटीदार, महेंद्र कुमा जैन, क्रय-विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र भगोरा, धूलेश्व पाटीदार, गजराज सिंह चौहान शंकर लाल यादव, महेश कुमार रोत पीयूष कलाल, गिरधर लाल, महें कुमार, लाल शंकर सहित बड़ संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि एसआईआर प्रक्रिया में व्याप्त अनियमितताओं को तुरंत नहीं रोक गया और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी।

प्रातःकाल
Udaipur Dak Edition | 2026-01-17 | Page- 3
pratahkal.epapers.in

कांग्रेस ने एसडीएम कार्यालय का किया घेराव

डूंगरपुर(प्रातःकाल संवाददाता)। डूंगरपुर में कांग्रेस ने एसआईआर कार्यक्रम के तहत बीएलओं पर सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में डूंगरपुर विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। विधायक गणेश घोघरा ने बताया कि वर्तमान में चल रही एसआईआर स्पेशल समरी रिवीजन प्रक्रिया में डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ सत्ता पक्ष के नेताओं के प्रभाव में काम कर रहे हैं। आरोप है कि सत्ता पक्ष के नेता बीएलओ के माध्यम से अपने समर्थकों के नाम गलत दस्तावेजों के आधार पर जुड़वा रहे हैं। वहीं, कांग्रेस समर्थकों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उनके समर्थक नाम जुड़वाने के लिए परेशान हो रहे हैं। विधायक घोगरा ने एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में एसआईआर प्रक्रिया की निष्पक्ष और गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Powered by Bharati Web

उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

सीमलवाड़ा (प्रात:काल संवाददाता)। ब्लॉक कांग्रेस सीमलवाड़ा व चिखली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कटारा ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा एस आई आर की प्रक्रिया चलाई जा रही है जिसके तहत 15 जनवरी तक वोटर लिस्ट ड्रॉप तैयार किए जाने हैं, जिसे लेकर भाजपा के नेताओं द्वारा निर्वाचन अधिकारी को दबाव बनाकर नियम विरुद्ध कांग्रेस मतदाताओं के नाम को हटाकर बल्क आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भाजपा द्वारा चुनाव आयोग पर दबाव बनाते हुए यह घिनौनी हरकत की जा रही है इस भारी फर्जीवाडे कों रोकने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर लोकतंत्र की रक्षा एवं मतदाता के हितों की रक्षा के लिए शुक्रवार को आज उपखंड अधीकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कटारा, ब्लॉक अध्यक्ष डुले सिंह चौहान जिला उपाध्यक्ष महेंद्र भगोरा पूर्व प्रधान निमिषा भगोरा ओबीसी प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव सुरेश भोई राजीव गांधी पंचायती राज जिला अध्यक्ष रूपचंद भगोरा विधि प्रकोष्ठ बाल गोविंद पाटीदार सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

अनियमितताओं पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

एसडीएम को ज्ञापन सौंपते कांग्रेस कार्यकर्ता।

बहरोड. शहर में शुक्रवार को कांग्रेस पीसीसी सचिव संजय यादव के नेतृत्व में एसडीएम रामकिशोर मीणा को मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में बिना कारण बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए जाने के संबंध में त्वरित हस्तक्षेप के लिए और जमा किए गए फॉर्म 6,7 एवं 8 की संकलित सूची उपलब्ध कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। पीसीसी सचिव ने बताया भाजपा की ओर से सुनियोजित तरीके से मतदाताओं के नाम हटाने-जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकतंत्र को कमजोर करने की हर साजिश को नाकाम करेगी। कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने एक ही दिन में सैकड़ों की संख्या में फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 बल्क में जमा किए गए। जिनमें फर्जी हस्ताक्षर, अपूर्ण जानकारी और नियमों की खुली अवहेलना सामने आई है। जिस पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से नियम विरुद्ध जमा किए गए सभी फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 की संपूर्ण सूची सार्वजनिक करने, बल्क में जमा किए गए सभी आवेदनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने, फर्जी हस्ताक्षर एवं नियमों का उल्लंघन कर आवेदन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने, मतदाता सूची शुद्धीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष,पारदर्शी एवं भयमुक्त बनाने की मांग की। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष विकाश यादव, संगठन मंत्री जितेंद्र यादव, मंजीत यादव सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बानसूर. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष भीम सिंह गुर्जर की अगुवाई में निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम अनुराग हरित को मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में बिना ठोस कारण और विवरण के बड़ी संख्या में फॉर्म -7 जमा किए जाने को लेकर पी फॉर्म -6, 7, 8 की संकलित सूची मांगने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि नियमानुसार इलेक्ट्रोल मेन्यूअल 2023 के पैरा संख्या 11.3.2 (2) के अनुसार आवेदन प्राप्त नहीं किए जा सकते है। व्यक्तिगत मतदाता केवल एक ही फॉर्म (दावा अथवा आपत्ति के लिए) प्रस्तुत कर सकता है, जबकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए- 2 प्रतिदिन अधिकतम 10 फॉर्म ही जमा करा सकते हैं। फार्म में मतदाता की सम्पूर्ण जानकारी उसका मोबाइल नंबर साक्ष्य अंडरटेकिंग संलग्न होना आवश्यक है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग कि है कि ऐसे सभी नियम विरुद्ध जमा फर्म 6, 7 एवं 8 की संकलित सूची कांग्रेस पार्टी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाए। नियम विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट शिवचरण रावत, प्रदीप यादव सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नीमराणा. राजस्थान में चल रही विशेष मतदाता पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर नीमराणा नगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट वेदप्रकाश सैनी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एसडीएम एवं तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं इलेक्टोरल मैनुअल-2023 के नियमों की अवहेलना करते हुए बड़ी संख्या में फॉर्म-6, 7 एवं 8 बल्क में जमा किए गए हैं। जबकि नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्तिगत मतदाता केवल एक आवेदन ही प्रस्तुत कर सकता है तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी सीमित संख्या में ही आवेदन जमा करने की अनुमति है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट वेदप्रकाश सैनी ने बताया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक ही दिन में सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में फॉर्म-6 एवं फॉर्म-7 जमा किए गए, जो निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने मांग की कि ऐसे सभी नियम विरुद्ध आवेदनों पर किसी प्रकार की संज्ञानात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि नियमों के विपरीत आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जमा किए गए फॉर्म-6, 7 एवं 8 की संकलित सूची नियमानुसार उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष संजय यादव, महावीर प्रसाद चर्खिया, युवा नेता अशोक दौराता, श्योचंद, कृष्ण, भूपेंद्र सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर
कोटपूतली-बहरोड़ भास्कर 17-01-2026

मतदाता सूची पुनरीक्षण में गड़बड़ी का आरोप

भास्कर न्यूज़ | कोटपूतली

जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते कांग्रेसी।

जिले में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। कोटपूतली-बहरोड़ जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इंद्राज सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी से मुलाकात कर बिना किसी ठोस कारण और विवरण के बड़ी संख्या में बल्क फॉर्म जमा किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में त्वरित हस्तक्षेप की मांग करते हुए जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष इंद्राज सिंह गुर्जर ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जिले में 12 अगस्त 2025 को राजस्थान मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है तथा 12 से 15 दिसंबर 2025 तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद नियत नियमों की अवहेलना करते हुए एक राजनीतिक दल द्वारा साजिशन उपखण्ड कार्यालयों में एक ही दिन में सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में फॉर्म नं. 07 और फॉर्म नं. 06 जमा किए गए, जो चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन है। संगठन महामंत्री वी.के. नक्ल ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाणा, बहरोड़ से संजय यादव, डॉ. आर.सी. यादव, पीसीसी सचिव जगदीश मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश चंद सैनी, एडवोकेट सतीश निमोरिया, रमेश जिंदल सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

दैनिक भास्कर
कोटपूतली-बहरोड़ भास्कर 17-01-2026

फर्जी नामों से आपत्ति लगाकर नाम कटवाने की साजिश के आरोप, बानसूर-बहरोड़ व नीमराना में कांग्रेस की ओर से सौंपे ज्ञापन

एसआईआर: कांग्रेस ने कहा- सामूहिक फॉर्म लेना गैर-कानूनी, जो अफसर ले रहे, उन पर कार्रवाई हो

कोटपूतली/ बहरोड़| मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक बवाल जारी है। कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को बानसूर और बहरोड़ में फर्जी आपत्ति लगाकर नाम हटवाने की साजिश के आरोप लगाए। इनके विरोध में ज्ञापन सौंपे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव संजय यादव के साथ एसडीएम को ज्ञापन दिया। इसमें कहा कि इलेक्टोरल मैनुअल 2023 के पैरा 11.3.2 (2) के तहत मतदाता सूची प्रारूप में आवेदन को लेकर सामूहिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जा सकते। एक मतदाता केवल एक ही फॉर्म प्रस्तुत कर सकता है। जबकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म ही जमा कर सकते हैं। साथ ही प्रत्येक फॉर्म में मतदाता की संपूर्ण जानकारी, मोबाइल नंबर, साक्ष्य और अंडरटेकिंग संलग्न होना अनिवार्य है।

उन्होंने आरोप लगाया गया है कि एसडीएम कार्यालय में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नियमों के विरुद्ध एक ही दिन में सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में फॉर्म-7 और फॉर्म-6 जमा कराए गए, जो स्पष्ट रूप से निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि ऐसे सभी नियमविरुद्ध जमा किए गए फॉर्म-6, 7 और 8 की संकलित सूची नियमानुसार उपलब्ध कराई जाए तथा बल्क में जमा आवेदनों पर संज्ञान न लिया जाए। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। पार्टी ने इस गंभीर विषय पर शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष विकास यादव, संगठन मंत्री जितेंद्र यादव, योगेश धोलिया, कपिल नासरपुर, मंजीत गोकुलपुर, राजसिंह जखराना, अमित योगी, सतपाल, कुलदीप, मुकेश, अनिल वकील, हरपाल, अवधेश, लाला शुक्ल, हंसा गुर्जर, सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मतदाता पुनरीक्षण में गड़बड़ी को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा

नीमराना। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार डॉ. विक्रम सिंह को ज्ञापन सौंपा।

नीमराना। कांग्रेस ने मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर तहसीलदार डॉ. विक्रम सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं इलेक्टोरल मैनुअल 2023 के नियमों के विपरीत बड़ी संख्या में फॉर्म-6, 7 एवं 8 बल्क में जमा किए हैं जबकि नियमों के अनुसार व्यक्तिगत मतदाता केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी सीमित संख्या में ही आवेदन जमा करने की अनुमति है। इस अवसर पर अशोक दोयता, कृष्ण कुमार प्रजापति, वेद प्रकाश सैनी, संजय कुमार यादव, महावीर प्रसाद चर्खिया, श्योचंद उर्फ भरतरी, सुरेंद्र सेन, पर्यावरण प्रेमी भूपेंद्र चौहान, भीम सिंह सोनी, दीपक पटेल, विनय शर्मा, धर्मवीर रेवाड़िया, संजय सैनी आदि मौजूद रहे।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहायक निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा

बानसूर| कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहायक निर्वाचन अधिकारी अनुराग हरित को मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में बिना ठोस कारण और विवरण के बड़ी संख्या में फॉर्म -7 जमा किए जाने को लेकर फॉर्म -6,7,8 की संकलित सूची उपलब्ध कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि एसडीएम कार्यालय मे नियमों के विरुद्ध एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बल्क में एक ही दिन में सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में फॉर्म 7 एवं फार्म 6 प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि स्पष्ट रूप से निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है ऐसे आवेदनों पर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाए। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भीमसिंह गुर्जर, महेन्द्र गुर्जर, सावंत चनेजा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष राहुल आर्य, प्रदीप यादव, मुकेश सैनी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता थे।

मतदाता नामांकन व विलोपन के दर्ज हुए हजारों आवेदन

कोटपूतली/बहरोड़| निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक रही। इस दौरान फार्म नंबर 6 (मतदाता सूची में नाम जोड़ने) के कुल 15,665 और फार्म नंबर 7 (नाम हटवाने) के कुल 1,586 आवेदन दर्ज किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका गोस्वामी ने बताया कि प्राप्त आवेदनों की जानकारी नियमित रूप से बीएलए-1 और बीएलए-2 को ईआरओ के माध्यम से साझा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कार्रवाई में आयोग के निर्देशों का पूर्ण पालन किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि एसआईआर का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण ने बताया कि ड्राफ्ट रोल प्रकाशन पर दावे और आपत्तियां बीएलए के माध्यम से प्राप्त की गई हैं। उन्होंने बताया कि फार्म-6 के तहत विधानसभा कोटपूतली में 3,666, विराटनगर में 4,723, बहरोड़ में 4,089 और बानसूर में 3,187 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं फॉर्म-7 के तहत कोटपूतली में 281, विराटनगर में 598, बहरोड़ में 396 और बानसूर में 311 आवेदन दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्राप्त फॉर्म 6 और 7 का सत्यापन, सुनवाई और जांच कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत फॉर्म नं. 6 व 7 के प्राप्त आवेदनों पर आयोग के निर्देशानुसार की जायेगी कार्यवाही

कोटपूतली। निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 16 दिसम्बर से 15 जनवरी के दौरान जिले में फॉर्म नं. 06 (मतदाता सूची में नाम जुड़वाने) के कुल 15665 एवं फॉर्म नं. 07 (मतदाता सूची में नाम हटवाने) के कुल 1586 आवेदन प्राप्त हुये हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका गोस्वामी ने बताया कि नियमित रूप से बीएलए-1 एवं बीएलए-2 को ईआरओ के माध्यम से साझा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उक्त कार्य में आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुये पारदर्शिता के साथ कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित ना रहे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण ने बताया कि ड्राफ्ट रोल प्रकाशन पर दावे व आपत्तियां बीएलए के माध्यम से प्राप्त की गई हैं। उन्होंने बताया कि बीएलओ को 15 जनवरी तक फॉर्म नं. 06 के तहत जिले की विधानसभा कोटपूतली में 3666, विराटनगर में 4723, बहरोड़ में 4089, बानसूर में 3187 आवदेन प्राप्त हुये हैं। वहीं फॉर्म नं. 07 के तहत विधानसभा कोटपूतली में 281, विराटनगर में 598, बहरोड़ में 396, बानसूर में 311 आवेदन प्राप्त हुये हैं। उन्होंने बताया कि फॉर्म नं. 06 व 07 के प्राप्त आवेदनों का सत्यापन/सुनवाई/जाँच कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सरदारशहर, साहवा व तारानगर में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई, फॉर्म 6 व 7 की सूची उपलब्ध कराने की मांग उठाई

एसआईआर में नाम कटने सहित अन्य गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध, एसडीएम को ज्ञापन दिया

सरदारशहर. एसडीएम को ज्ञापन देते कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता।

साहवा. तहसीलदार को मांगों का ज्ञापन सौंपते कांग्रेस कार्यकर्ता।

तारानगर. एसडीएम को जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन देते हुए।

भास्कर न्यूज़ | सरदारशहर

विधायक आवास पर शुक्रवार को कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। देहात अध्यक्ष दुर्गाराम पारीक की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसआईआर की गड़बड़ी व अनियमितताओं को लेकर चर्चा की गई तथा कार्यकर्ताओं से सजग रहने का आह्वान किया गया।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय रहकर एसआईआर की जानकारी रखे तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी व अनियमितता होने पर तुरन्त इस संबंध में पदाधिकारियों व अधिकारियों को अवगत करवाकर सुधार करवाए। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित ना रहे तथा किसी भी गलत मतदाता का नाम सूची में शामिल ना हो सके। अगर कहीं पर ऐसा किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जाए। बैठक में नगर अध्यक्ष महावीर माली, मास्टर उमरदीन सैय्द, फारूक ज्यान मोहम्मद, मनफूल खां फौजी, राकेश पारीक आदि ने विचार व्यक्त किए। बैठक के बाद पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम से मुलाकात की तथा ज्ञापन देकर एसआईआर को सही तरीके से पूरा करवाने की मांग की। इस मौके पर जितेन्द्र स्वामी, मोतीलाल जाखड़, बाबूलाल सैनी, नवाब खां, नूरमोहम्मद, रिजवान, हैदर अली, बजरंगलाल, राकेश, भीखाराम, गजानंद, सावरमल पूलासर, प्रभुसिंह, जुगलसिंह, हनुमानसिंह खीवणसर आदि थे।

ग्रामीणों को किया मनरेगा के प्रति जागरूक

वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से चलाए जा रहे मनरेगा बचाओ अभियान के तहत शुक्रवार को ग्राम पंचायत पूलासर, खींवणसर, कावलासर, देराजसर व जीवनदेसर पहुंचकर नरेगा श्रमिकों व ग्रामीणों से संवाद किया गया तथा उन्हें केन्द्र सरकार की ओर से योजना में किए जा रहे बदलाव व इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि योजना में बदलाव के कारण संविधान प्रदत्त काम मांगने के अधिकार व न्यूनतम मजदूरी का अधिकार भी छीना जा सकता है। इसके अलावा वित्तीय प्रावधानों में बदलाव से इसका बोझ राज्य सरकार पर पड़ेगा, जिससे योजना का संचालन भी नहीं हो पाएगा। ग्रामीणों को रोजगार मिलने में भी परेशानी होगी। ग्रामीणों को मनरेगा बचाओ संग्राम जन आंदोलन में सक्रिय सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

साहवा; मतदाताओं पर फर्जी आपत्तियां दर्ज कराने वालों पर कार्रवाई की मांग

साहवा | कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार शाम को नगरपालिका क्षेत्र के मतदाताओं पर फर्जी आपत्तियां दर्ज करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर रैली निकालकर उप तहसील कार्यालय के आगे आक्रोश जताया। मुख्य बाजार में एकत्रित हुए कार्यकर्ता रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए उप तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां काफी देर तक आक्रोश जताया तथा बाद में नायब तहसीलदार चंद्रशेखर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पालिका क्षेत्र के 244 मतदाताओं के विरुद्ध फार्म-7 प्रस्तुत कर संबधित बीएलओ को निस्तारण के लिए भेजे गए है। काटे गए 244 नाम मुस्लिम समाज व मजदूर वर्ग के लोगों के है, जो पीढ़ियों से यहां रह रहे है। 2002 की मतदाता सूची में भी इनके नाम दर्ज है। इसके बावजूद एसआईआर के नाम जानबूझकर दुर्भावना से इनके नाम काटने का प्रयास किया जा रहा है। इन पर फर्जी आपत्तियां भी लगवाई गई है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। ज्ञापन देने वालों में अकबर खां कुम्हार, रोहिताश सैनी, कान्हा सैनी, शौकीन खान, इकबाल खान, मकबुल खान, लियाकत खान, मजीद खान, बसीर खान, अलीशेर, शाहरूक आदि थे।

तारानगर; एसआईआर में अव्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

तारानगर| एसआईआर में गड़बड़ियों व मतदाताओं के नाम कटवाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एसडीएम राजेंद्र कुमार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा है कि एसआईआर में 12 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया। दावे व आपत्तियां 14 जनवरी तक ली गई। मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में बिना किसी कारण व विवरण के बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए गए है। इसके अलावा एक व्यक्ति से कई दावा व आपत्तियां लेने की जानकारी मिली है। एसडीएम कार्यालय में नियम विरुद्ध राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने एक ही दिन में बड़ी संख्या में फार्म सात व छह प्रस्तुत किए है, जो निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है। इन आवेदनों पर संज्ञान नहीं लिया जाए। नियम विरुद्ध जमा फॉर्म छह, सात व आठ की सूची कांग्रेस को दी जाए तथा नियम विरुद्ध आवेदन करने वालों पर प्राथमिक दर्ज कर कार्रवाई की जाए। वेदप्रकाश सहारण, मदन पांडिया, पार्षद हरिसिंह बेनीवाल, कृष्णकुमार सहारण, रोहिताश सैनी, दिनेश खंडेलवाल, पन्नालाल कस्वा, मोहरसिंह आदि थे।

एसआइआर के बहाने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सरदारशहर. प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक शुक्रवार को हुई जिसमें एसआइआर, मनरेगा आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने एसआइआर में हो रही गड़बड़ी की ओर ध्यान आकर्षित कराया तथा कार्यकर्ताओं को एसआइआर में हो रही अनियमितता व गड़बड़ी के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया।

सरदारशहर. उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन देते कांग्रेस के कार्यकर्ता।

बैठक के बाद एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में देहात कांग्रेस अध्यक्ष दुर्गाराम पारीक, उमरदीन सैयद, मनफूल खां फौजी, महावीर माली, जितेन्द्र स्वामी, पार्षद मदनसिंह निर्वाण सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल थे। इसके साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से चलाए जा रहे मनरेगा बचाओ अभियान के तहत शुक्रवार को ग्राम पंचायत पूलासर, खींवणसर, काकलासर, देराजसर व जीवनदेसर में मनरेगा से जुड़े श्रमिकों व ग्रामीणों के बीच संवाद कर जागरूक किया तथा इस योजना के परिवर्तन से होने वाले नुकसान के बारे में बताया।

सभा अध्यक्ष ने बताया कि योजना में बदलाव कर संविधान की ओर से प्रदत्त काम मांगने के अधिकार व न्यूनतम मजदूरी के अधिकार को छीना जा रहा है। योजना के वित्तीय प्रावधानों में बदलाव कर राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। बैठक में मनरेगा के बदलाव से ग्रामीण और गरीब जनता के साथ रोजगार की गारंटी खत्म करने का प्रयास किया है। इस अवसर पर बजरंगलाल पारीक, राकेश, भीखाराम, गजानंद, सांवरमल पूलासर, प्रभुसिंह, जुगलसिंह, हनुमानसिंह खींवणसर, राजू, सागरनाथ, शिवरतन, परमेश्वरलाल, रामलाल काकलासर आदि उपस्थित थे।

एसडीएम कार्यालय के आगे किया विरोध-प्रदर्शन, जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन

नियम विरुद्ध फॉर्म जमा किए जाने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

तारानगर. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में बिना किसी ठोस कारण एवं विवरण के नियम विरुद्ध फॉर्म 7 जमा किए जाने को लेकर विरोध जताते हुए शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय के आगे विरोध-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला कलक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर बताया कि राजस्थान प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित की जा रही है।

अधिकतम 10 फॉर्म ही जमा करा सकते हैं

12 दिसम्बर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है तथा दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 12 दिसम्बर से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई थी। नियमानुसार इलेक्टोरल मैन्युअल 2023 के अनुसार ब्लक आवेदन प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत मतदाता केवल एक ही फॉर्म दावा अथवा आपत्ति के लिए प्रस्तुत कर सकता है, जबकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 प्रतिदिन अधिकतम 10 फॉर्म ही जमा करा सकते हैं।

आयोग के निर्देशों का उल्लंघन

फॉर्म में मतदाता की संपूर्ण जानकारी, उसका मोबाइल नंबर साक्ष्य अंडरटेकिंग संलग्न होना आवश्यक है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि एसडीएम कार्यालय तारानगर में नियमों के विरुद्ध राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं की ओर से बल्क में एक ही दिन में सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में फॉर्म 7 एवं फार्म 6 प्रस्तुत किए गए हैं जो कि स्पष्ट रूप से निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसे सभी नियम विरुद्ध जमा फॉर्म - 6, 7 एवं 8 की संकलित सूची कांग्रेस पार्टी को नियमानुसार उपलब्ध करवाने, बल्क में जमा हुए आवेदनों पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लेने तथा साथ ही नियम विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।

ज्ञापन देने वालों में हरिसिंह बेनीवाल, मानसिंह सैनी, मोहरसिंह ज्याणी, कुंदन सैनी, पन्नालाल पूनियां, कृष्ण सहारण, दिनेश खण्डेलवाल, बाबू हुसैन, यूनस, रामनिवास खीचड़, चंदन आदि अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को दिया ज्ञापन

जयपुर टाइम्स

सरदारशहर(निस)। प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक कर सभी कार्यकर्ताओ को एसआईआर में अनियमितता व गड़बड़ी के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया गया। मतदाता सूची में गलत नाम जुड़ना व सही नाम कटना नहीं चाहिए। इसको लिए उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन देकर अवगत करवाया गया। ज्ञापन देने वालों में देहात कांग्रेस अध्यक्ष दुर्गाराम पारीक, ऊमरदीन सैयद, मनफूल खाँ फौजी, महावीर माली, जितेन्द्र स्वामी, मोतीलाल जाखड़, बाबूलाल सैनी, राकेश पारीक मेहरासर, फारूक ज्यान मोहम्मद, नबाब खां ठेकेदार, नूरमोहम्मद रिजवान, हैदर अली सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से चलाए जा रहे मनरेगा बचाओ अभियान शुक्रवार को ग्राम पंचायत पूलासर, खींवणसर, काकलासर, देराजसर, जीवनदेसर में मनरेगा से जुड़े नागरिकों व गांव के अन्य लोगों के बीच संवाद कर जागरूक किया गया। इस योजना में परिवर्तन से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। सभा अध्यक्ष ने बताया कि योजना में बदलाव कर संविधान से प्रदत्त काम मांगने के अधिकार व न्यूनतम मजदूरी के अधिकार को छिना जा रहा है। योजना के वित्तीय प्रावधानों में बदलाव कर राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। बैठक में मनरेगा के बदलाव से ग्रामीण और गरीब जनता के साथ रोजगार की गारन्टी खत्म करने का प्रयास किया है। नई योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया है। बैठक में उपस्थित सभी लोगों से मनरेगा बचाओ संग्राम जन आन्दोलन में सक्रिय सहयोग करने की अपील की गई। केन्द्र सरकार के प्रस्तावित संशोधनों के दुष्प्रभावों की जानकारी पहुंचाकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर बजरंगलाल, राकेश कुमार, भीखाराम, गजानन्द, सांवरमल पूलासर, प्रभुसिंह, जुगलसिंह, हनुमानसिंह खींवणसर, राजूराम, सागारनाथ, शिवरतन, परमेश्वर लाल, रामलाल काकलासर, गोपीचन्द, बनवारी लाल, रामावतार , मनीराम देराजसर, मनीराम शिव नारायण, भंवरलाल, बनवारी लाल जीवनदेसर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कांग्रेस नेताओं ने सौंपा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन

जयपुर टाइम्स

सुजानगढ़(नि.सं.)। कांग्रेस नेताओं ने नगर अध्यक्ष रामावतार शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम ओमप्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपकर एस आई आर के तहत बल्क आपत्तियां नहीं लेने की मांग की है। साथ ही जयपुर में बीएलओ को धमकाने की घटना की निंदा करते हुए भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस नेता इदरीश गौरी, अमित मारोठिया ने बीएलओ को धमकाने की घटना को लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि बीएलओ और बीएलए इंसान ही हैं, लेकिन एक दल के लोग उन पर बेवजह का प्रेशर बनाकर उनको परेशान कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान नगर अध्यक्ष रामावतार शर्मा, विद्याधर बेनीवाल, सिराज खान कायमखानी, साबिर अली चौहान, पूनमचंद मेघवाल, पार्षद जाकिर क्याल, पार्षद ईकबाल खां कायमखानी, राजकुमार इंदौरिया, ओंकारमल मेघवाल, रेखाराम मेहरड़ा, असलम मौलानी, विवेक लाटा, कन्हैयालाल माली, रामचंद्र गोदारा, सलीम बेहलीम, धनंजय महरिया, मास्टर दाऊद काजी, रामनिवास गुर्जर, अमजद खान कायमखानी सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, नियम विरूद्ध आवेदन करने वालों पर कार्यवाही की मांग

सुजानगढ़। एसआईआर के दौरान एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नियम विरुद्ध बल्क आवेदन करने को लेकर कांग्रेस द्वारा नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामवतार मंगलहारा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखंड अधिकारी) ओमप्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नियम विरुद्ध बल्क आवेदन करने की शिकायत की गई। ज्ञापन में दल विशेष के कार्यकर्ताओं पर एक दिन में सैंकड़ों से अधिक संख्या में फार्म 6 व फार्म 7 प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया। ज्ञापन नियम विरुद्ध आवेदन करने वाले व्यक्तियों के प्राथमिकी दर्ज कर अनावश्यक कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई। इस दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामवतार मंगलहारा, उप सभापति अमित मारोठिया, विद्याधर बेनीवाल, सिराज खान,पार्षद इदरीश गौरी, पार्षद इकबाल खान, पार्षद जाकिर क्याल, मो. असलम मौलानी, कन्हैयालाल माली, रामचंद्र गोदारा, पूनमचंद मेघवाल, रेखाराम मेहरड़ा, साबिर चौहान, राजकुमार इंदौरिया, विवेक लाटा सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

दैनिक भास्कर धौलपुर 16-01-2026

एसआईआर में कांग्रेस ने लगाया वोट काटने का आरोप, विरोध-प्रदर्शन

उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जांच की मांग

बाड़ी | ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा गुरुवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मतदाता सूचियां में से षड्यंत्र के तहत लोगों के नाम हटाने का आरोप लगाया है साथ मे उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौप माम्ले के जांच की मांग की है। ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा सहित कांग्रेसियों का आरोप है कि फॉर्म नंबर 7 भरकर कुछ लोग आपत्ति लगाकर बीएलओ से षडयंत्र पूर्वक नगर पालिका क्षेत्र में जाति विशेष के लोगों के नाम कटवा रहे हैं। पूरे शहर के अलग-अलग वार्डों से ऐसी स्थिति देखने को मिली है। जो आपत्ति फार्म भरे गए हैं उनमें आवेदक के नाम,पत्ते के साथ मोबाइल नम्बर भी गलत हैं।

कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सैफ सईद खां ने बताया कि यह पूरा षड्यंत्र है। एक-एक वार्ड में से 40-40 लोगों के नाम काटने के लिए बीएलओ को यह आपत्ति फार्म दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। जो आपत्ति फार्म भरे गए हैं उन पर अंकित मोबाइल नंबर कोई तमिलनाडु में कोई मुंबई में,कोई महाराष्ट्र में बोल रहा है। । ज्ञापन के दौरान कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष नईम खान,वरिष्ठ पार्षद हरी पहाड़ियां,नगर पालिका मंडल जिलाध्यक्ष नासिर खान,योगेश अग्रवाल,महेंद्र सिंह,सोनू दिवाकर,अनिल अरेला सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर धौलपुर 17-01-2026

कांग्रेसियों ने मांगी फार्म संख्या 6,7 और 8 की संकलन सूची, नाम हटाने का आरोप लगाया

कांग्रेस ने एसडीएम कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन, वोटर लिस्ट से नाम हटाने का विरोध

बाड़ी| ब्लॉक कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर वोटर लिस्ट में नाम हटाने का आरोप लगाया। ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया कि पार्टी विशेष के लोगों द्वारा कांग्रेस विचारधारा के लोगों के साथ यह घिनौना कृत किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे इस एसआईआर के कार्य के दौरान हालांकि 12 दिसंबर को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन हो गया है। एक ही दिन में एक पार्टी विशेष के लोगों ने गोपनीय तरीके से षड्यंत्र करते हुए राजनीतिक दलों के बल्क में सैकड़ो से लेकर हजारों की संख्या में फॉर्म नंबर 7 और फॉर्म नंबर 6 प्रस्तुत कर दिए। जिनके आधार पर नाम को हटाया जा रहा है। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करें। साथ में निर्वाचन कार्यालय में जो फार्म जमा हुए हैं उनमें फार्म संख्या 6,7 और 8 की संकलन सूची कांग्रेस पार्टी को उपलब्ध कराई जाए।

इस दौरान जिला महिला सचिव रोशनी शिवहरे, नगर अध्यक्ष सैफ सईद खान,पूर्व पार्षद हरिसिंह पहाड़िया, कृपाल कुशवाहा, महादेव मीणा, मनीष मंगल, एलएस यादव, मोहम्मद शकील, अनिल अरेला, केशव मीना, धर्मेंद्र कुमार, राकेश अजहर, सोनू दिवाकर,नासिर खान मौजूद रहे।

कांग्रेस का आरोप, एक दल ने हजारों फार्म जमा कराए

धौलपुर| कांग्रेस कमेटी ग्रामीण धौलपुर एवं सैंपऊ द्वारा एसडीएम धौलपुर को ज्ञापन देकर मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में बड़ी संख्या में नाम काटे जाने का आरोप लगाया है।

साथ ही फॉर्म 6 फार्म 7 एवं 8 की संकलित सूची उपलब्ध कराने की मांग की। ज्ञापन में मांग की गई है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए 2 प्रतिदिन अधिकतम 10 फॉर्म ही जमा कर सकते हैं। जिस फार्म में मतदाता की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। एसडीएम कार्यालय में नियमों के विरुद्ध एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बल्क में हजारों की संख्या में फॉर्म 6 एवं फॉर्म 7 प्रस्तुत किए गए हैं । ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि इस प्रकार के आवेदनों पर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाए। साथ ही नियम विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव अमित मुदगल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष शिबू लोधा, ब्लॉक अध्यक्ष सैंपऊ पुष्पेंद्र कुशवाह, नगर अध्यक्ष सैंपऊ राजेश कुशवाह, मंडल अध्यक्ष नीरज त्यागी, मंडल अध्यक्ष हरिशंकर गोयल, मंडल अध्यक्ष दिलीप सोलंकी, मंडल अध्यक्ष सतीश कुमार, नगर अध्यक्ष धौलपुर बनवारी लाल जाटव, संगठन महासचिव ब्लॉक ग्रामीण धौलपुर लोकेन्द्र कंडेरा, मंडल अध्यक्ष छावनी फिरोज खान, ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महासचिव सुरेंद्र, ब्लॉक महासचिव मुन्ना अब्बाशी, विक्रम पहाड़िया, राजू पहाड़िया, सोहन सिंह गुर्जर, अजय बिलोनिया, दाऊदयाल त्यागी, अभिषेक सक्सेना, आकाश परमार, देवेंद्र शर्मा, दीपक सक्सेना सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे।

सरदारपुरा में 5500 में से 2500 नाम हटाने के फर्जी फॉर्म का दावा

एसआइआर पर सियासी घमासान, कांग्रेस का आरोप-हजारों वोटर के नाम काटने की साजिश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. एसआइआर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूरे प्रदेश में मतदाता सूची से नाम काटने की सुनियोजित तैयारी की जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि प्रत्येक बूथ पर 40 से 50 मतदाताओं के नाम हटाने की योजना बनाई गई है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा में स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहां एक वार्ड में करीब 5500 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 2500 मतदाताओं के नाम काटने के लिए फॉर्म जमा कराए गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ये फॉर्म पूरी तरह फर्जी हैं और इनमें शिकायतकर्ता का सिर्फ नाम व हस्ताक्षर हैं, लेकिन न तो पूरा पता है और न ही कोई ठोस आधार दर्ज किया गया है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि सरदारपुरा क्षेत्र के कई बूथों पर बड़ी संख्या में नाम काटने के फॉर्म अचानक पहुंच गए। इससे संदेह और गहरा गया है।

कांग्रेसियों ने मारवाड़ इंटरनेशनल पहुंचकर कलक्टर को सौंपा ज्ञापन।

कलक्ट्रेट में प्रदर्शन, एमआइसी में सौंपा ज्ञापन: कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल कलक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल को ज्ञापन देने के लिए कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां कांग्रेसियों ने पहले प्रदर्शन किया। बाद में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में कलक्टर के साथ बैठक कर उन्हें ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। उधर, कलक्टर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपा है। उसमें उठाई गई आपत्तियों की गंभीरता से जांच करवाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन विभाग की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

प्रक्रिया उल्लंघन: कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष ओंकार वर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीएलओ से जानकारी ली कि आपके पास कुछ नाम काटने के फॉर्म आए हैं तो उन्होंने बताया कि कुछ फॉर्म आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि फॉर्म किसने दिया तो उन्होंने बताया कि सुपरवाइजर ने दिया और सुपरवाइजर को पूछने पर बताया गया कि उनके पास ऑफिस से फॉर्म आए हैं। इस तरह बड़ी संख्या में जहां-जहां नाम कटवाने वहां फॉर्म नंबर 7 भर कर दिया जा रहे हैं और जुड़वाने के लिए भी फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

लूनी @ पत्रिका. कस्बे के उपखंड कार्यालय में शुक्रवार को मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत एक दल की ओर से बिना ठोस कारण बड़ी संख्या में संशोधित फार्म जमा कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।

कांग्रेस ब्लॉक लूनी अध्यक्ष महेन्द्र सारण ने उपखंड अधिकारी हंसमुख कुमार को दिए ज्ञापन में बताया कि नई मतदाता सूची जारी होने के बाद 12 से 15 दिसंबर तक आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों के अनुसार बीएलओ प्रतिदिन केवल दस संशोधित फार्म ही जमा कर सकते हैं, इसके बावजूद बड़ी संख्या में नियमों के विपरीत फार्म जमा कराए गए। उन्होंने बताया कि संशोधित फार्म के साथ मतदाता का मोबाइल नंबर और अंडरटेकिंग होना अनिवार्य है, जिसका पालन नहीं किया गया, जो निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है। इस अवसर पर भानाराम विश्नोई, भीखाराम ओड सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

एसआईआर की तारीख 19 तक बढ़ी, भाजपा ने नाम कटने पर 18 आपत्तियां दर्ज कराई

जयपुर | चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में नाम हटवाने और जोड़ने के लिए दावे और आपत्तियां लेने की तारीख को शुक्रवार को बढ़ा दिया है। आयोग ने एसआईआर वाले राज्यों में दावे आपत्तियां लेने की तारीख को 19 जनवरी तक बढ़ाया है। पहले 15 जनवरी आखिरी तारीख थी। वहीं, कांग्रेस ने एसआईआर में गड़बड़ियों के मामले में कोर्ट में याचिका दायर करने की घोषणा की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शनिवार को कोर्ट में याचिका दायर करने की घोषणा की है। इधर, एसआईआर में भाजपा ने 18 हजार आपत्तियां नाम हटवाने को लेकर दर्ज कराई हैं। इस मामले में चुनाव आयोग का कहना है कि इसके लिए बनी अथॉरिटी नाम हटाने को लेकर निर्णय करेगी। हालांकि इससे पहले नोटिस देकर जवाब माँगा जाएगा।

कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, वोटर्स के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप

जोधपुर | शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ियों के निस्तारण के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और एडीएम-2 सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल से प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर एसआईआर प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बिना किसी ठोस कारण व विवरण के बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए जाने पर आपत्ति जताई गई। साथ ही जमा किए गए फॉर्म-6, 7 व 8 की संकलित सूची उपलब्ध कराने तथा मामले में शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। हेमसिंह गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं व जिला प्रशासन से मिलीभगत कर एसआईआर प्रक्रिया के अंतिम दिन मुस्लिम बाहुल्य व कांग्रेस समर्थित क्षेत्रों, वार्डों व बूथों पर हजारों फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं

ज्यादातर मतदाता अनपढ़, कहां से लाएं मार्कशीट व जन्म प्रमाण पत्र

मतदाता सूची पुनरीक्षण बना मुसीबत: 8 किमी तक चक्कर लगाने व दस्तावेज को लेकर कुड़ीवासी परेशान

नवज्योति/ जोधपुर। देशभर में एसआईआर यानी मतदान सूचियों का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है इसके तहत कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड में मतदाताओं का आरोप हैं, कि उनको अलग-अलग दस्तावेज के नाम पर संबंधित अधिकारियों की ओर से परेशान किया जा रहा है। घंटो तक दफ्तर में बिठाने से लेकर दस्तावेजो में छोटी-छोटी गलतियां निकाल अगले दिन बुलाते हैं जिससे लोग 8-8 किलोमीटर रोजाना आने जाने से थक चुके है। कई लोगो का कहना हैं, कि उनका नाम तक काट दिया गया है। ऐसे में कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित भगवान परशुराम पार्क 2 सेक्टर के लोग परेशान हो चुके है। इस संबंध में संबंधित अधिकारी सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी लूणी से संपर्क करने की कोशिश की तो ना तो फोन उठाया और ना ही मैसेज करने पर मैसेज का जवाब दिया।

8 किलोमीटर दूर तक लगाने पड़ रहे चक्कर

लोगो का आरोप हैं, कि एसआईआर से जुड़े दस्तावेजों और सर्वे प्रक्रिया को लेकर कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवी दिनेश सारस्वत ने बताया, डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान बीएलओ की ओर से कई फार्म अधूरे होने के बावजूद ले लिए गए, लेकिन अब उन्हीं कमियों के आधार पर लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके चलते आम नागरिकों को लगभग 8 किलोमीटर दूर तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

बुजुर्ग,अनपढ और मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा परेशान

स्थानीय लोगो का कहना है, कि उन्हें बार-बार दसवीं की मार्कशीट व मूल निवास प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा जा रहा है, जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, गैस डायरी व ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। बुजुर्ग, अनपढ़ और मजदूर वर्ग के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। ई-मित्र पर मूल निवास बनाने के लिए 2 से 3 हजार रुपए तक मांगे जा रहे हैं, जो गरीब परिवारों के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। इतना ही नहीं तहसील तक आने-जाने में टैक्सी वालों को 400–500 रुपए देने पड़ रहे हैं।

हम अनपढ़ है कहां से लाएं मार्कशीट

स्थानीय निवासी दीपा कंवर ने कहा, दो बार तहसील के चक्कर लगाए, फिर भी आधार-पैन कार्ड मानने से इनकार कर मार्कशीट और मूल निवास मांग रहे हैं। हमारे पास हैं नहीं तो हम कहां से लाएं। इसपर बनवाकर लाने की बात कहते हैं मगर इतनी जल्दी कैसे बनेगा। मेरे माता पिता व सास ससुर ही नही है तो कहां से 2002 के दस्तावेज लेकर आउं। पहले जो दस्तावेज लिए थे वह रिजेक्ट कर दिए और नोटिस भेजे। हम पढे लिखे नही है तो मार्कशीट कहां से लेकर आएंगे। मूल निवास 3 हजार रूपए में कैसे बनवाए सरकार को सोचना चाहिए।

स्थानीय निवासी मीना कंवर ने कहा, कभी कहते है मार्कशीट लेकर आओ कभी कहते है मूल निवास पत्र लेकर आओ हम जब अनपढ है तो कहां से मार्कशीट लेकर आएं। 60 साल की हमारी उम्र हो गई है आज तक वोट देते आए हैं अब अचानक से हम कहां से ऐसे दस्तावेज लेकर आएंगे। जब उनसे आग्रह करते है तो कहते हैं, कि कोर्ट कचहरी घूमते रहना। मेरे पति लक्ष्मण सिंह जिनका नोटिस आया है। अब सरकार इसमें हमे कुछ राहत दें।

स्थानीय निवासी दिव्यांशु सिंह ने कहा, मेरे पापा मम्मी का भाग दौड़ कर मधुबन से लिस्ट निकलवाई तो 2003 लिस्ट में नाम दर्ज है यह मान्य नहीं कर रहे मार्कशीट और मूलनिवास के लिए कह रहे है। हमारे यहां तरूण सिंह बीएलओ है उसी भाग में यह समस्या सबसे अधिक आई है। लगभग सभी घरों में नोटिस जारी किए हैं।

चक्कर काटकर परेशान हो गया मगर नहीं ले रहे दस्तावेज

75 वर्षीय बुजुर्ग हबीब खान ने कहा, जन्म से ही जोधपुर में रहता हूं। मेरा और मेरी पत्नी का नाम हटा दिया। सभी दस्तावेज लेकर जाते है तो हमें यही कहा जाता हैं कि दो दिनबाद आना बस हमें चक्कर कटवाए जा रहे है। हमे किसी तरह का फॉर्म तक नहीं दिया हमारे पास 2002 वाले सभी वोटर कार्ड और दस्तावेज है मगर कोई हमारी बात सुनने को वहां तैयार नही है। अब तक 5 से 6 चक्कर एसडीएम और बीएलओ कार्यालय के काट चुका, एक महीना हो गया मगर कोई नहीं सुन रहा।

एडीएम द्वितीय को सौंपा ज्ञापन

सरदारपुरा में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस लगाए आरोप

जोधपुर/ नवज्योति। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शुक्रवार को सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में चल रही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (SIR) प्रक्रिया को लेकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम द्वितीय) सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बिना किसी ठोस कारण एवं विवरण के बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए जाने के मामले में त्वरित हस्तक्षेप करने, साथ ही जमा किए गए फॉर्म-6, 7 एवं 8 की संकलित सूची उपलब्ध कराने की मांग की गई।ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं एवं जिला प्रशासन की मिलीभगत से SIR प्रक्रिया के अंतिम दिनों में मुस्लिम बाहुल्य एवं कांग्रेस समर्थित क्षेत्रों, वार्डों और बूथों पर हजारों की संख्या में फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसके तहत अंतिम दिन बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया संचालित की जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है तथा दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 12 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित थी। इलेक्ट्रोल मैनुअल 2023 के पैरा 11.3.2 (2) के अनुसार बल्क आवेदन स्वीकार नहीं किए जा सकते। इसके बावजूद आरोप है कि भाजपा के BLA-2 द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से बल्क में प्रिंटेड फॉर्म-7 जमा कराए जा रहे हैं, जिन पर कई मामलों में पूर्ण हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर एवं अन्य आवश्यक जानकारी तक अंकित नहीं है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मंडल अध्यक्ष पूरण मेघवाल, ब्लॉक पदाधिकारी आनंद मेघवाल, ललित तथा सुरेंद्र सिंह सहित कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पूर्व विधायक मनीषा पंवार ने मतदाताओं के नियम विरूद्ध नाम काटने पर आक्रोश जता कलक्टर को दिया ज्ञापन

जोधपुर/ नवज्योति। भाजपा सरकार की ओर से एसआईआर प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ने एवं नाम हटाने की प्रक्रिया का नियमविरूद्ध दुरूपयोग कर कांग्रेस कार्यकताओं एवं कांग्रेस विचारधारा वाले मतदाताओं के नाम काटने पर पूर्व विधायक मनीषा पंवार ने जिला निर्वाचन प्रशासन पर अनुचित दबाव बनाने के विरोध में शुक्रवार को कलक्टर जोधपुर को कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा एवं वरिष्ठ कांग्रेसी राजेन्द्र सोलंकी, गणपतसिंह चौहान के साथजोधुपर, सरदारपुरा, सुरसागर विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्षों के साथ ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के साथ ही बूथ लेवल अधिकारियों को भी चेताया, कि वे नियम अनुरूप कार्य करें किसी के भी दबाव में आकर नियम विरूद्ध कार्य नहीं करें नहीं तो उनके विरूद्ध भी पार्टी की ओर से विधिसम्मत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ज्ञापन में कलक्टर को बताया, निर्वाचन विभाग की ओर से एसआईआर के प्रथम चरण में 4 नवम्बर से पूर्व सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल सहायकों का विधिवत प्रशिक्षण आयोजित किया। प्रशिक्षण में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मृत, स्थानांतरित, अनट्रेसेबल एवं दोहरे (डुप्लीकेट) मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे तथा एक व्यक्ति,एक वोट के सिद्धांत के अनुसार किसी भी मतदाता का नाम केवल एक ही स्थान पर रहेगा।

दुर्भाग्यवश, द्वितीय चरण में गंभीर अनियमितताएं बरतते हुवे दावे एवं आपत्तियों के दौरान उपरोक्त स्पष्ट नियमों का उल्लंघन करते हुए सत्ताधारी राजनीतिक दल की ओर से चयनित क्षेत्रों में एक साथ लगभग 50, 100 व उससे अधिक नामों पर सामूहिक आपत्तियां दर्ज करवाई गईं। यह कार्यवाही बीएलए-2 की प्रतिदिन 10 आपत्तियों की सीमा के नियम के प्रत्यक्ष विपरीत है। इससे भी गंभीर तथ्य यह है कि इन आपत्तियों को दर्ज करते समय आपत्तिकर्ता की पूर्ण पहचान, निवास संबंधी विवरण तथा संपर्क हेतु मोबाइल नंबर अंकित नहीं किए गए, जिससे आपत्तियों की सत्यता संदेहास्पद हो जाती है।

एस आई आर प्रक्रिया में गडबडियों का अंबार : वर्मा

कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया

जोधपुर, 16 जनवरी (कासं)। एस आई आर प्रक्रिया में व्याप्त कथित विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियां के निस्तारण के संबंध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इन समस्याओं के निस्तारण की मांग की।

प्रवक्ता डॉ संजय गौड़ ने बताया कि शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओंमकार वर्मा ने आज जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल से प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर एस आई आर प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने के बाद इसके संबंध में ज्ञापन सौंपा कर अवगत कराया और कहा कि जोधपुर की तीनों विधानसभाओ में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें प्रार्थी ने किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई लेकिन फिर भी उसके फर्जी हस्ताक्षर करके नाम कटवाने की शिकायत की गई। उन्होंने कहा कि फॉर्म नंबर 6,7 और 8 का दुरुपयोग हुआ है और विशेष करके एक समूह विशेष और कांग्रेस आईडियोलॉजी वाले लोगों के वोटो को मतदाता सूचियो से हटाने का जो गलत तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और निष्पक्षता के साथ इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से जब इस प्रक्रिया का हमने आकलन किया तो पाया कि सरदारपुर क्षेत्र में विशेष क्षेत्र और लोगों को टारगेट करके उनका नाम हटाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है जो सरासर गलत है बिना किसी शिकायत के आधार पर मनगढ़ंत फॉर्म भरकर शिकायत करने की भी बात उन्होंने जिला कलेक्टर को कहीं इस प्रकार की कार्यवाही यह बताती है कि यह प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है। पूर्व विधायक मनीषा पंवार ने कहा कि एस आई आर प्रक्रिया में जिस प्रकार की धांधली कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है यह आने वाले समय के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। सराफा बाजार और शास्त्री नगर ब्लॉक के अध्यक्ष अख्तर खान सिंधी और रामनिवास गोदारा सूरसागर और हाउसिंग बोर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष त्रिलोक मेहरा और परम सुख पुरोहित सरदारपुर के ब्लॉक अध्यक्ष डॉ हेम सिंह गहलोत और भंवरलाल हटवाल ने भी अपनी अपनी विधानसभाओं के भी ज्ञापन संबंधित अधिकारियों को सौंप और इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने की बात कही। प्रतिनिधि मंडल में देहात जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और विधायक गीता बरवड पूर्व नेता प्रतिपक्ष गणपत सिंह चौहान पूर्व राज्य मंत्री रमेश बोराणा शहजाद खान पूर्व उपमहापोर अब्दुल करीम जानी पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश जोशी और सलीम खान संगठन महासचिव कुश गहलोत हरेंद्र सिंह राठौड़ लियाकत अली रंगरेज ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा रामनिवास बुध नगर डॉ भाकर राम विश्नोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के फिरोज पूर्व पार्षद शादाब खान ललित गहलोत ईसरान जागीदार इरफान बेली इलियास मोहम्मद हुकम सिंह डॉ वीरेंद्र माथुर राधेश्याम सोलंकी मंडल अध्यक्ष मुख्तियार अली चिश्ती ,अनिल सागर ,कमलेश तंवर हरिश सागर ,पुनाराम मेहरा आदि सहित कांग्रेस के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे उपस्थित रहे।

मतदाता सूची से कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के नाम कटवाने का ब्रह्मास्त्र बना फॉर्म–7

एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप,कांग्रेसी नेताओं ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन

जोधपुर(नसं)। शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। कहा कि जोधपुर शहर की तीन विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ (ईआरओ) कार्यालयों में नियमों के विरुद्ध बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा कराए जा रहे हैं। इनके जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मतदाता सूची से नाम काटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर में मुस्लिम बाहुल्य 7 और 8 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम काटने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा बीएलए–2 के हस्ताक्षर वाले फॉर्म 7 जमा करने की जानकारी मिली है।

प्रक्रिया का किया जा रहा उल्लंघन–कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष ओंकार वर्मा ने कहा कि कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीएलओ से जानकारी ली कि आपके पास कुछ नाम काटने के फॉर्म आए हैं तो उन्होंने बताया कि कुछ फॉर्म आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि फॉर्म किसने दिया तो उन्होंने बताया कि सुपरवाइजर ने दिया और सुपरवाइजर को पूछने पर बताया गया कि उनके पास ऑफिस से फॉर्म आए हैं। इस तरह बड़ी संख्या में जहां–जहां नाम कटवाने वहां फॉर्म नंबर सेवन भर कर दिया जा रहे हैं और जुड़वाने के लिए भी फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं। इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसका उल्लंघन किया जा रहा है।वहीं, कांग्रेस के पूर्व पार्षद एवं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे गणपत सिंह चौहान ने बताया कि उनके वार्ड में करीब डेढ़ सौ लोगों के नाम काटने के गलत नाम से फॉर्म 7 जमा करवाए जा रहे हैं। उनके पड़ोसी का नाम काटने के लिए फॉर्म 7 गणपत सिंह के नाम से जमा करवा दिया। जब वह उनके पास आए तो उन्होंने इस बात की जानकारी लगी। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में कोई भी गणपत सिंह के नाम से फॉर्म जमा कर रहा है तो सबसे पहले मुझे ही ढूंढा जाएगा।

कांग्रेस ने फॉर्म–6, 7 और 8 की संकलित सूची उपलब्ध कराने की मांग की। राजस्थान प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित की जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है तथा दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 12 दिसम्बर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई थी।व नियमानुसार इलेक्ट्रॉल मेन्युअल 2023 के पैरा संख्या 11.3.2 (2) के अनुसार ब्लॉक आवेदन प्राप्त नहीं किए जा सकते है। व्यक्तिगत मतदाता केवल एक ही फॉर्म (दावा अथवा आपत्ति हेतु) प्रस्तुत कर सकता है, जबकि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बीएलए–2 प्रतिदिन अधिकतम 10 फॉर्म ही संबंधित बूथ के बीएलओ के पास जमा करा सकते हैं। फॉर्म में मतदाता की सम्पूर्ण जानकारी उसका मोबाइल नंबर साक्ष्य अंडरटेकिंग संलग्न होना आवश्यक है।

ज्ञापन देने के दौरान पूर्व राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक मनीषा पंवार, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश जोशी व सलीम खान सहित कई कांग्रेस नेता व कार्यकर्त्ता उपस्थित रहें।

एसआईआर प्रक्रिया में कांग्रेस मतदाताओं के नियम विरूद्ध नाम काटना दुर्भाग्यपूर्ण : मनीषा

जोधपुर (हुक्मनामा समाचार)। पूर्व विधायक मनीषा पंवार ने आरोप लगाया कि सत्ताधीन भाजपा सरकार द्वारा एस.आई.आर. प्रक्रिया के तहत नाम जोडने एवं नाम हटाने की प्रक्रिया का नियमविरूद्ध दुरूपयोग कर कांग्रेस कार्यकताओं एवं कांग्रेस विचारधारा वाले मतदाताओं के नाम काटने हेतु जिला निर्वाचन प्रशासन पर अनुचित दबाव बनाने के विरोध में आज जिला कलक्टर जोधपुर को कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा एवं वरिष्ठ कांग्रेसी राजेन्द्र सोलंकी, गणपतसिंह चौहान के साथ ही जोधुपर, सरदारपुरा, सुरसागर विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्षों के साथ ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने के साथ ही बूथ लेवल अधिकारियों को भी चेताया गया कि वे नियम अनुरूप कार्य करें किसी के भी दबाव में आकर नियम विरूद्ध कार्य नहीं करें नहीं तो उनके विरूद्ध भी पार्टी द्वारा विधिसम्मत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञापन में मांग की गई कि द्वितीय चरण में नियमविरुद्ध दर्ज की गई सभी सामूहिक आपत्तियों की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच करवाई जाए। बीएलए-2 द्वारा प्रतिदिन अधिकतम 10 आपत्तियों की सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। दावे एवं आपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया बीएलए-2 की उपस्थिति में, पूर्ण पारदर्शिता के साथ करवाई जाए। प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में पहले से लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। एस.आई.आर. की संपूर्ण प्रक्रिया को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखते हुए नियमों के अनुरूप, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संचालित करने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएँ। झूठी शिकायत करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाये।

झूठी रिर्पोट व दबाव में कार्य करने कार्मिकों पर भी उचित कानूनी कार्यवाही की जाये। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस गंभीर विषय पर त्वरित एवं न्यायसंगत निर्णय लेकर मतदाता सूची की पवित्रता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जायेगी।

कांग्रेस ने गलत तरीके से नाम काटने को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

विश्वास एक्सप्रेस

जोधपुर। जोधपुर शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बडियों का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष ओंकार वर्मा ने आरोप लगाया कि जोधपुर शहर की तीन विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ कार्यालय में नियमों के विरुद्ध बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा कराए जा रहे हैं। इनके जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मतदाता सूची से नाम काटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर में मुस्लिम बाहुल्य 7 और 8 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम काटने के लिए बड़ी संख्या भाजपा बीएलए 2 के हस्ताक्षर वाले फॉर्म 7 जमा करने की जानकारी मिली है। कुछ बूथ पर उस सम्बन्धित बूथ के बीएलए-2 की बजाय भाजपा के कार्यकर्ता एवं अन्य बूथ के भाजपा के बीएलए-2 अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के बूथ पर फॉर्म-

7 (दावा अथवा आपत्ति हेत) प्रस्तुत कर रहे है जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। ऐसे सभी नियम विरुद्ध जमा फॉर्म 6. 7 एवं 8 की संकलित सूची कांग्रेस पार्टी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाए। बल्क में जमा हए आवेदनों पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाए। साथ ही नियम विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। ज्ञापन देने के दौरान पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक मनीषा पंवार, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश जोशी व सलीम खान सहित कई कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कांग्रेस ने एसआईआर में लगाया गड़बड़ी का आरोप

गलत तरीके से नाम काटने को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

परिक्रमा रिपोर्टर

जोधपुर। जोधपुर शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष ओंकार वर्मा ने आरोप लगाया कि जोधपुर शहर की तीन विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ कार्यालय में नियमों के विरुद्ध बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा कराए जा रहे हैं। इनके जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मतदाता सूची से नाम काटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर में मुस्लिम बाहुल्य 7 और 8 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम काटने के लिए बड़ी संख्या भाजपा बीएलए 2 के हस्ताक्षर वाले फॉर्म 7 जमा करने की जानकारी मिली है। कुछ बूथ पर उस सम्बन्धित बूथ के बीएलए-2 की बजाय भाजपा के कार्यकर्ता एवं अन्य बूथ के भाजपा के बीएलए-2 अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के बूथ पर फॉर्म-7 (दावा अथवा आपत्ति हेत) प्रस्तुत कर रहे है जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। ऐसे सभी नियम विरुद्ध जमा फॉर्म 6. 7 एवं 8 की संकलित सूची कांग्रेस पार्टी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाए। बल्क में जमा हुए आवेदनों पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाए। साथ ही नियम विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। ज्ञापन देने के दौरान पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक मनीषा पंवार, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश जोशी व सलीम खान सहित कई कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कांग्रेस का आरोप SIR में भाजपा MLA जैन ने कटाए 260 नाम

शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतहसिंह राठौड़ बोले, शहर विधायक के खिलाफ की जाए कानूनी कार्रवाई

उदयपुर, 16 जनवरी (पंजाब केसरी): उदयपुर, 16 जनवरी (पंजाब केसरी): वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उदयपुर में राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने शहर विधायक ताराचंद जैन पर 260 नाम कटवाने का आरोप लगाया और जिला कलेक्टर से उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की।

उदयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ ने बताया कि विधायक ने धोलीबावड़ी और आयड़ क्षेत्र में फॉर्म-7 के जरिए 260 नाम कटवाने के लिए हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर दिए। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम कटवाने की अर्जी दी। राठौड़ ने चेतावनी दी कि प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठेंगे।

विधायक जैन बोले, शिकायत पर कार्रवाई : शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि उन्हें शिकायतें मिली थीं और नियमानुसार उन्होंने निर्वाचन विभाग को लिखित सूचना दी। उन्होंने कहा कि इसमें

सभी वर्ग के मतदाता शामिल हो सकते हैं और जांच में सही नाम बने रहेंगे, गलत नाम कटेंगे।

कानूनी कार्रवाई की मांग : कांग्रेस पदाधिकारियों ने ज्ञापन देकर कहा कि एक ही दिन में सैकड़ों फॉर्म जमा करना निर्वाचन नियमों का उल्लंघन है और यह मतदाता सूची में हेरफेर का प्रयास है। उन्होंने नियमविरुद्ध जमा फॉर्म-6, 7 और 8 की सूची उपलब्ध कराने और जिम्मेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।

Scanned with OKEN Scanner

शहर विधायक जैन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो: राठौड़

उदयपुर (कासं)। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उदयपुर विधायक ताराचंद जैन के विरुद्ध गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए निर्वाचन विभाग से मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की गई है।

उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पंकज पालीवाल ने बताया कि वर्तमान में चल रही मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान बिना किसी ठोस कारण एवं विवरण के शहर विधायक ताराचंद जैन एवं भाजपा नेताओं द्वारा बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए गए, जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमों के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा सीमित संख्या में ही आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जबकि एक ही दिन में सैकड़ों की संख्या में फॉर्म जमा होना संदेहास्पद एवं अवैधानिक है।

भाजपा विधायक बोले जांच में साफ हो जाएगा

इस बारे में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने भास्कर को बताया कि मुझे पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर जमीनी स्तर पर जो शिकायतें मिली उसके आधार पर मैंने निर्वाचव विभाग को रिफर कर दिया है। इसमें सिर्फ अल्पसंख्यक मतदाताओं की ही बात करना गलत है, इसमें सभी वर्ग के मतदाता हो सकते है। उन्होंने कहा कि मुझे जो शिकायतें मिली उसमें इन नामों को लेकर कहा गया कि ये मतदाता यहां नहीं रहते है, किसी की शादी हो गई है किसी का दूसरी जगह नाम है आदि। इसमें क्या गलत है, नियमानुसार जांच होगी और उसमें अगर मतदाता का नाम सही होगा तो रह जाएगा और गलत होगा तो कट जाएगा।

कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया कि [illegible]

का प्रयास है, जिससे लोकतांत्रिक [illegible]

सकती है। कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रशासन से मांग कि है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई तत्काल प्रारंभ की जाए, ताकि लोकतंत्र की पवित्रता बनी रहे। ज्ञापन देने वालों प्रतिनिधि मंडल में ब्लॉक अध्यक्ष सोमेश्वर गोगा, अजय सिंह, शहर जिला महामंत्री दिनेश कुमार दवे, मंडल अध्यक्ष ऋतुराज मिश्रा, श्याम सुंदर गुर्जर सहित कांग्रेसजन मौजूद थे।

Scanned with OKEN Scanner

सियासी सरगर्मी : विधायक ताराचंद जैन बोले- आरोपों में कोई दम नहीं, गलत जुड़े नामों को हटवाने में क्या दिक्कत है?

एसआईआर पर संग्राम : कांग्रेस का आरोप- विधायक जैन और कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यकों के नाम काटे, मांग- केस दर्ज हो

सिटी रिपोर्टर | उदयपुर

उदयपुर में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीति गरमा गई है। अब शहर जिला कांग्रेस ने भाजपा के शहर विधायक ताराचंद जैन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व अल्पसंख्यकों के नामों को जबरन वोटर लिस्ट से कटवाने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने शहर विधायक सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग की है।

कांग्रेस ने कलेक्टर को दस्तावेज देकर वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने उदयपुर शहर के भाजपा विधायक ताराचंद जैन और अन्य पर नाम कटाने का आरोप लगाते हुए उन पर मामला दर्ज कराने की मांग की। उदयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ ने कहा कि विधायक जैन ने अपने हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर देकर नियम विरुद्ध 260 नाम कटाने के लिए फॉर्म दिए। वहीं विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि आरोपों में कोई दम नहीं है। मेरे पास दस्तावेजों के आधार कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई तो जिला निर्वाचन विभाग को लिखकर दिया कि गलत जुड़े नाम हटाए जाएं, इसमें क्या गलत है? सिर्फ अल्पसंख्यक मतदाताओं की ही बात करना गलत है। इसमें सभी वर्ग के मतदाता शामिल हो सकते हैं। शहर कांग्रेस किसी के इशारे पर झूठा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, जिसमें वह विफल साबित होगी।

ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष सोमेश्वर मीणा, अजय सिंह, शहर जिला महामंत्री दिनेश कुमार दवे, शहर कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट पंकज पालीवाल, मंडल अध्यक्ष ऋतुराज मिश्रा, श्याम सुंदर गुर्जर, मयंक खमेसरा, यशवंत जोशी, धर्मेश मालवीय, महेश धनावत, राकेश खोखर आदि शामिल थे।

धोलीबावड़ी में 60 व आयड़ क्षेत्र में 200 नाम कटाने के लिए जैन ने हस्ताक्षर किए : राठौड़

शहर कांग्रेस पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर मेहता को शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा।

उदयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ ने आरोप लगाए हैं कि उदयपुर शहर विधानसभा में भाजपा विधायक ताराचंद जैन और भाजपा नेता-कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम कटवाने की अर्जी दी। राठौड़ ने दस्तावेज पेश दिखाते हुए कहा कि विधायक जैन ने धोलीबावड़ी इलाके में 60 नाम कटाने के लिए अपने हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर के साथ दिया है।

इसी प्रकार आयड़ क्षेत्र में भी 200 नाम कटाने के लिए जैन ने हस्ताक्षर किए हैं। शहर में हेलो की गवाड़ी इलाका जिसकी पुरानी भाग संख्या 193 है, उसमें 82 मतदाताओं के नाम भाजपा के मोहित सनाढ्य नाम के कार्यकर्ता ने नाम कटाने के लिए अर्जी दी है। वहीं, मोहित ने भी कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया है। कांग्रेस ने जिला कलेक्टर मेहता से मांग करते हुए कहा कि विधायक और कार्यकर्ता जिन्होंने ये काम किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। राठौड़ ने कहा- कार्रवाई नहीं की जाएगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता यहां कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठेंगे। इधर शहर जिला कांग्रेस कमेटी बी ब्लॉक के अध्यक्ष अजय सिंह ने भी कलेक्टर को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज कराई।

Scanned with OKEN Scanner

जिला कलक्टर से की शिकायत

कांग्रेस ने एसआइआर में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया

पत्रिका
पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जिला कलक्टर को ज्ञापन देते कांग्रेस कार्यकर्ता। पत्रिक

उदयपुर. कांग्रेस ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंप विधायक ताराचंद जैन समेत भाजपा नेताओं के विरुद्ध एसआइआर में अनियमितताओं की शिकायत की। उन्होंने एसआइआर में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की।

शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पंकज पालीवाल ने बताया, शहर अध्यक्ष फतहसिंह राठौड़ की अगुवाई में जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया कि मतदाता पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया के दौरान बिना किसी ठोस कारण एवं विवरण के शहर विधायक एवं भाजपा नेताओं द्वारा बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए गए जो निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमों के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा सीमित संख्या में ही आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जबकि एक ही दिन में सैकड़ों की संख्या में फॉर्म जमा होना संदेहास्पद एवं अवैधानिक है। कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया कि यह कृत्य मतदाता सूची में हेरफेर का प्रयास है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि नियम विरुद्ध जमा किए गए फॉर्म 6, 7 एवं 8 की संकलित सूची संबंधित पक्ष को उपलब्ध कराई जाए, तथा ऐसे सभी आवेदनों पर कार्रवाई न की जाए। कांग्रेस नेताओं ने नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। ज्ञापन देते समय ब्लॉक अध्यक्ष सोमेश्वर मीणा, अजय सिंह, शहर जिला महामंत्री दिनेश कुमार दवे, मंडल अध्यक्ष ऋतुराज मिश्रा, श्याम सुंदर गुर्जर, मयंक खमेसरा, यशवंत जोशी, धर्मेश मालवीय, महेश धनावत, राकेश खोखर और एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष [illegible] सोलंकी आदि मौजूद रहे।

भाजपा बोली-झूठ फैला रही कांग्रेस

एसआइआर को लेकर कांग्रेस की ओर से आपत्तियां जताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। इसको लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि खोखले दावे कर झूठा वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। देश में आठ बार एसआईआर प्रक्रिया की गई, जिसमें सात बार कांग्रेस के शासन काल में हुई। कांग्रेस चुनाव हारती है तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है, लेकिन चुनाव जीतने पर यही ईवीएम सही लगने लगती है।

Scanned with OKEN Scanner

दैनिक नवज्योति Udaipur City - 17 Jan 2026 - Page 8

कांग्रेस ने एसआईआर में 260 नाम काटने का लगाया आरोप

ब्यूरो नवज्योति,उदयपुर। जिले में वोटर सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने जिला कलक्टर को ज्ञापन के साथ दस्तावेज सौंपे और वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाया है वहीं शहर विधायक ताराचंद जैन ने इन आरोपों को निराधार बताया है। जांच करने के बाद ही नाम काटे गए हैं।

शहर जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर उदयपुर विधायक ताराचंद जैन के विरुद्ध गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए निर्वाचन विभाग से मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की गई है। प्रवक्ता पंकज पालीवाल ने बताया कि वर्तमान में चल रही मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बिना किसी ठोस कारण एवं विवरण के शहर विधायक ताराचंद जैन एवं भाजपा नेताओं द्वारा बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए गए, जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमों के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा सीमित संख्या में ही आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जबकि एक ही दिन में सैकड़ों की संख्या में फॉर्म जमा होना संदेहास्पद है। कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि नियम विरुद्ध जमा किए गए फॉर्म 6, 7 एवं 8 की संकलित सूची संबंधित पक्ष को उपलब्ध कराई जाए, तथा ऐसे सभी आवेदनों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए। ज्ञापन देने वालों प्रतिनिधि मंडल में ब्लॉक अध्यक्ष सोमेश्वर मीणा, शहर जिला महामंत्री दिनेश कुमार दवे ,मंडल अध्यक्ष ऋतुराज मिश्रा, एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुरेश सोलंकी आदि शामिल थे। राठौड़ ने कहा कि विधायक ने अपने साइन करके 260 नाम कटाने के लिए फॉर्म दिए। जिला प्रशासन इस गंभीर विष पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष ए कठोर कार्रवाई करें। इस मामले शहर विधायक का कहना है वि एसआईआर के दौरान उनके पास क लोगों की शिकायत आई थी जिस उन्होंने किसी के मृत होने, किसी के द बार नाम आने अथवा किसी के अन्यत्र रहने के बावजूद वोटर लिस् में नाम आने पर जिला कलक्टर क जांच का आग्रह किया था। जांच कर पर ही नाम काटे गए हैं।

Scanned with OKEN Scanner